कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

वर्ष-11, अंक-7, अक्टूबर 2018, ईमेलः krishichaupal@gmail.com, वेबसाइटः www.krishichaupal.com रुपये 20

दम दिखा गये किसान

शांति गारंटीड

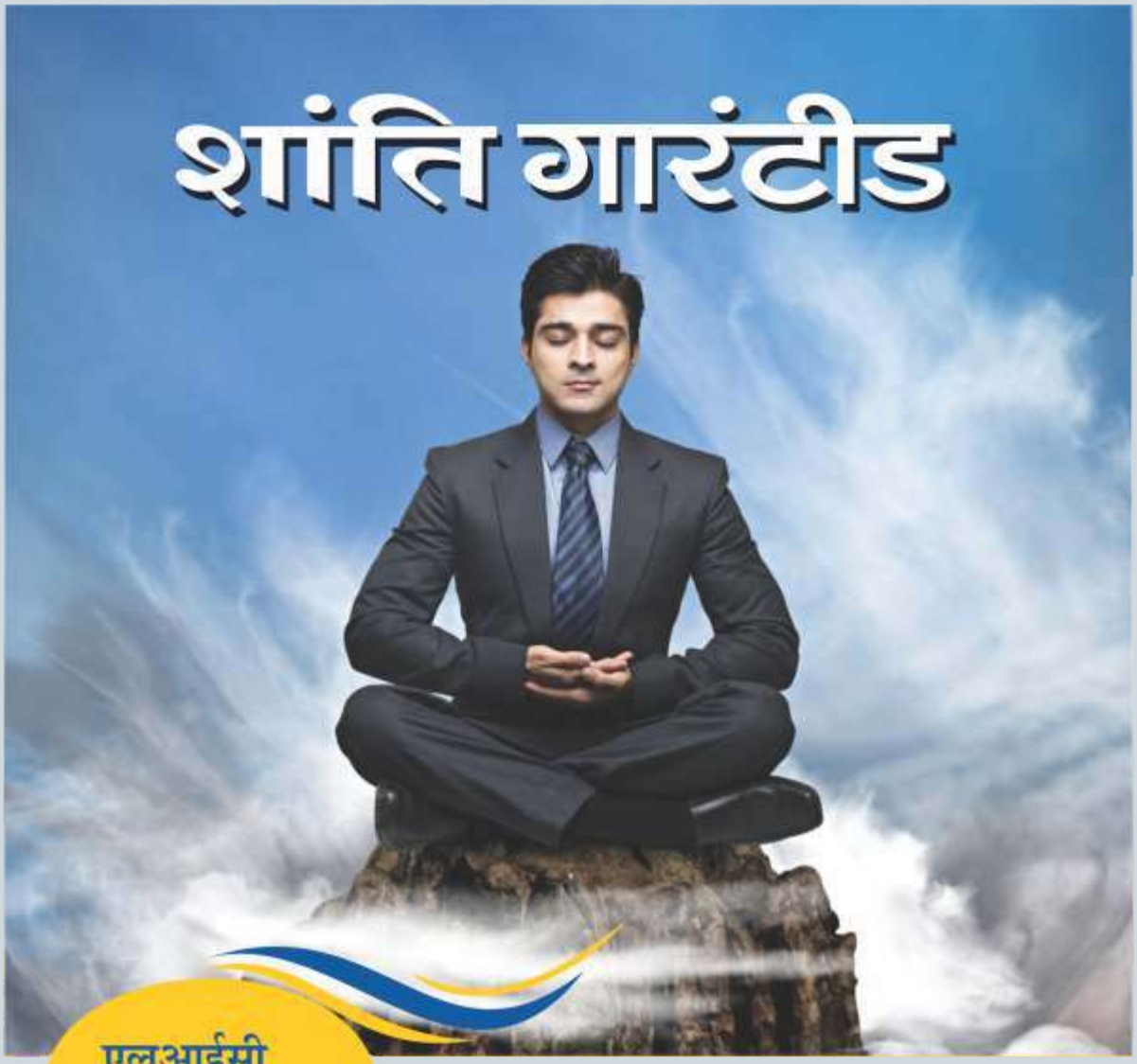

एलआईसी जीवन शांति

PLAN NO. 850 UIN 512N328V01

नॉन लिंक्ड, लाभरहित

एकल प्रीमियम वार्षिकी योजना

यह योजना खुद के लिए, संयुक्त जीवन के लिए, दिव्यांगजन के लिए ली जा सकती है।

योजना 30 वर्ष की आयु से उपलब्ध है।*

तात्कालिक और आस्थगित वार्षिकी
विकल्प मृत्यु हितलाभ के साथ भी उपलब्ध

आजीवन निरंतर आय

गारंटीड

- **गारंटीड वार्षिकी दरें**
  पॉलिसी की शुरूआत से
- **गारंटीड जोड़**
  आस्थगन अवधि के दौरान

विवरण हेतु संपर्क करें अपने एजेंट / निकटतम एलआईसी शाखा से या एसएमएस करें अपने शहर का कोड 56767474 पर या विजिट www.licindia.in

यह योजना ऑनलाइन भी उपलब्ध है

Follow us : YouTube LIC India Forever

फर्जी / धोखेबाजी वाली फोन कॉल से सावधान रहें।
आईआरडीएआई इन गतिविधियों में शामिल नहीं है जैसे बीमा पॉलिसी बेचना, बोनस या प्रीमियम के निवेश की घोषणा करना। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाली पब्लिक पुलिस शिकायत दर्ज करें।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
NORTH ZONE
ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी.

* जोखिम घटकों, शर्तों के लिए, बिक्री समापन से पूर्व बिक्री पुस्तिका ध्यान से पढ़ें

IRDAI Regn. No. 512

LIC/AR/16-18/14/HN

कृषि चौपाल
कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध
वर्ष-11 ❖ अंक-7 ❖ अक्टूबर 2018

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादक मंडल
डॉ. गंगाशरण सैनी, एस. विश्वजीत, ताज रावत, महेश पपनै

प्रबंध संपादक
नीरज जोशी

घुमंतू संवाददाता
गणेश पांडे, ललित पांडे

प्रसार प्रबंधक
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
कृषि चौपाल
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
संपर्क: +91-9910406059
ईमेल: krishichaupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93, सैक्टर-7, नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियां हैं। संपादकीय मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। 'कृषि चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर अमल करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों और परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

● **उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।**

योजनाकार नहीं जानते किसान का पीड़ा

प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ और पत्रकार पी. साईनाथ ने एक महत्वपूर्ण राय दी थी कि इन दिनों देश खेतीबाड़ी के गंभीर संकट से गुजर रहा है, इसलिए इस पर चर्चा के लिए संसद का दस दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। इस विशेष सत्र में किसानों को भी बुलाया जाए और कृषि क्षेत्र में आ रही दिक्कतों पर गंभीर चर्चा की जाए। साईनाथ का यह कहना सौ फीसदी सही है कि अभी सरकारी नीतियों और किसानों की परेशानियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, इसलिए किसानों की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। दरअसल, अब तक होता यह आया है कि सरकारी कर्मचारी ही कृषि नीति या योजनाएं बनाते रहे हैं, जबकि इसके विपरीत उन्हें जमीनी हकीकत मालूम नहीं होती। इस वजह से ज्यादातर सरकारी योजनाएं अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।

केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि वह 2020 तक किसानों के आय दोगुना कर देगी, लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान में किसानों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि यह दावा किसी सपने के पूरे होने जैसा है। असल में किसानों की आय तभी बढ़ाई जा सकती है, जब सरकार कृषि नीति या योजना बनाते समय किसानों की राय भी ले और उस पर अमल करे। अधिकारी कागजों में लोकलुभावन योजनाएं जरूर बना देते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर ये योजनाएं टिक नहीं पाती हैं।

केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकार यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने किसानों का इतना-इतना कर्ज माफ कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि देश के ज्यादातर किसानों ने बैंक से नहीं, बल्कि स्थानीय साहूकारों से कर्ज ले रखा है। सरकार की कर्जमाफी का इन किसानों के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार यह बात जब तक नहीं समझेगी कि किसान बैंक से कर्ज लेने में डरते हैं और कोई बैंक से कर्जा लेना भी चाहे तो उसे यह आसानी से नहीं मिलता। बैंक इतनी औपचारिकताएं और शर्तें लगाता है कि किसानों को ऊंची ब्याज दर के बावजूद साहूकार से कर्ज लेना आसान नजर आता है।

वैसे, सच्चाई यह है कि किसानों का भला सरकारी खैरात से नहीं, वास्तविक योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने से ही होगा। अभी हो यह रहा है कि अधिकारी, किसानों के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर योजनाएं अपने लिए ही बनाते हैं। अधिकारी सीधे आम आदमी या किसानों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, इसलिए वे हमेशा ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे वे स्वयं मालामाल हो सकें। गांव और तहसील स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए कृषि कमाई का जरिया है। साईनाथ की किताब 'तीसरी फसल' में इसकी कलई खोली गई है। सूखा प्रभावित इलाकों में तीसरी फसल बहुत प्रचलित है। सरकारी अधिकारियों के लिए इसका मतलब है - सूखा राहत के एवज में किसानों से वसूली जाने वाली घूस या रिश्वत।

किसान की आय बढ़ाने के लिए उनकी मदद बेहद जरूरी है, लेकिन अगर यह उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं होगी तो करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। देश भीषण कृषि संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार और उसके अधिकारी समस्या से निपटने के बजाय उसे आंकड़ों की जादूगरी से छिपाने की कोशिश में जुटे रहेंगे, तो क्या कहा जाए!

(महेन्द्र सिंह बोरा)

रबी सीजन की सभी फसलों का एमएसपी बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कृषि मंत्रलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मंत्रालय ने कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों में बिना किसी संशोधन के प्रस्ताव तैयार किया था। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देने आए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन के बाद पहली बार रबी सीजन की सभी फसलों के लिए संशोधित नीति के तहत लागत में 50 फीसद से अधिक मार्जिन जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई है। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की लागत 866 रुपये में फीसद मार्जिन जोड़कर एमएसपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 105 रुपये अधिक है। तिलहनी फसलों सरसों व तोरिया में फीसद मार्जिन जोड़कर एमएसपी तय किया गया है। समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से किसानों को 62635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का है।

गेहूं की लागत 866 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले एमएसपी फीसद अधिक तय किया गया है। गेहूं का मूल्य 1840 रुपये कर दिया गया है। जबकि जौ की खेती की लागत 860 रुपये आंकी गई है, जिसका समर्थन मूल्य 67 फीसद बढ़ाकर 1440 रुपये कर दिया गया है। यह पिछले साल के समर्थन मूल्य के मुकाबले 30 रुपये अधिक है। रबी सीजन की प्रमुख दलहन फसल चने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से उसकी लागत 2637 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले समर्थन मूल्य 4620 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें लागत के मुकाबले एमएसपी 75 फीसद अधिक रखा गया है। यह मूल्य पिछले साल के एमएसपी 4400 रुपये के मुकाबले 220 रुपये अधिक है।

जबकि मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 4475 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 225 रुपये अधिक है। सिंह ने बताया कि रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल तोरिया व सरसों का समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 4200 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तिलहन खेती को सरकार प्रोत्साहित कर रही है ताकि खाद्य तेलों की आयात निर्भरता कम हो सके।

भारत में भी प्राइस वार छेड़ सकती है वालमार्ट

जर्मनी, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में बाजार कब्जाने के लिए प्राइस वार छेड़ने की दोषी पायी जा चुकी वालमार्ट भारत में भी इस तरह की गतिविधियां अपना सकती है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) के समक्ष अपनी यह चिंता रखी है। कैट ने वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मिली मंजूरी को एनक्लैट में चुनौती दी है। वालमार्ट ने 16 अरब डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये) में फ्लिपकार्ट की 77 फीसद हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है। सीसीआई ने 8 अगस्त को इस सौदे को मंजूरी दे दी थी। याचिका पर एनक्लैट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

एनक्लैट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कैट ने कहा है कि अमेरिका की रिटेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वालमार्ट घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है। वहीं वालमार्ट का कहना है कि भारत में उसके कारोबार का मॉडल अलग है। साथ ही एफडीआई नीति के चलते वालमार्ट इंडिया ग्राहकों को सीध अपने उत्पाद नहीं बेच सकती है। 6 सितंबर के एनक्लैट ने वालमार्ट को भारत में अपने कारोबार के तरीके को लेकर जवाब देने को कहा था।

याकिताकर्ता कैट से भी वालमार्ट के कारोबार के तरीके पर विचार देने को कहा गया था। अपने जवाब में कैट ने कहा कि इस सौदे से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे। यह चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे दुकानदारों के लिए कम कीमत पर सामान बेचकर प्रतिस्पर्धा में बने रहना संभव नहीं है।

संगठन का कहना है कि वालमार्ट को 2003 में जर्मनी में बेहद कम कीमतें रखते हुए बाजार पर कब्जे की कोशिश का दोषी पाया जा चुका है। मैक्सिको में वालमार्ट की वालमैक्स को मुख्य प्रतिस्पर्धी सोरियाना के कुछ रिटेल स्टोर खरीदने से रोक दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भी छोटे दुकानदारों पर खतरे को देखते हुए वालमार्ट के एक अधिग्रहण सौदे को मंजूरी नहीं दी गयी थी।

कृषि निर्यात को प्राथमिकता से ले रही है सरकार

चुनाव से पूर्व किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक बार मोदी सरकार के कामों तेजी में आई है। लागत मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी के बाद अब सरकार कृषि निर्यात को लेकर एक्शन में आ गई है। इसे और बढ़ाने के लिए जल्द ही सरकार नई कृषि निर्यात नीति लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय में कृषि निर्यातकों और प्रोसेसर्स की बैठक बुलाई गई

थी, जहां कारोबारियों ने दाल, चावल और चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार से मदद की मांग की है। सरकार पहले ही दाल के निर्यात से पाबंदी हटा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद उम्मीद के मुताबिक दाल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दाल मिल एसोसिएशन ने सरकार से दाल निर्यात पर 15 फीसदी सब्सिडी की मांग की है। सनद रहे कि इससाल अप्रैल-जुलाई के दौरान करीब 1.25 लाख टन दाल का निर्यात हुआ है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना है। हालांकि ये मात्रा बेहद कम है।

दाल निर्यात में दिक्कतों की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भाव घरेलू बाजार से नीचे हैं। सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में इस साल दाल की बंपर पैदावार होने की संभावना है। इस साल करीब 2.5 करोड़ टन दाल पैदावार संभव है। भारत में कम मांग सेग्लोबल मार्केट में भी दाल के भाव गिर गए हैं। ऐसे में सब्सिडी के बिना ज्यादा दाल एक्सपोर्ट संभव नहीं है।

जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) प्रारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने (23 सितबंर 2018) को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने पीएमजेएवाई को एक विशाल सार्वजनिक सभा में शुभारंभ करने के लिए मंच पर पहुंचने से पहले इस योजना पर एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया।

इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला की पट्टिका का अनावरण भी किया। उन्होंने 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत गरीबों में गरीब, और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या यूरोपीय संघ की आबादी के बराबर है, या अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त जनसंख्या के करीब है।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के पहले हिस्से स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था, और दूसरा भाग स्वास्थ्य बीमा योजना दीन दयाल उपाध्याय की जयंती से दो दिन पहले शुरू किया गया था।

पीएमजेएवाई की व्यापकता के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख की राशि में सभी जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत यह पूर्व बीमारियों भी आएंगी। उन्होंने कहा कि लोग 14555 डायल करके या सेवा केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन राज्यों के लिए जो पीएमजेएवाई का हिस्सा हैं, लोग इन राज्यों में से किसी भी राज्य में जा रहे हैं, तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे केंद्रों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आने वाले चार वर्षों के अंदर भारत में 1.5 लाख ऐसे केंद्र खोलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान 'वहनीय हेल्थकेयर' और 'निवारक हेल्थकेयर' दोनों पर क्रेन्द्रित है।

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएमजेएवाई से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य प्रदाताओं, आशा, एएनएम आदि के समर्पण के माध्यम से यह योजना सफल होगी।

खरीफ फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान जारी

कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए। विभिन्न फसलों के उत्पादन का यह आकलन राज्यों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है और अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं से इसका सत्यापन हो गया है।

प्रथम अग्रिम अनुमानों के मुताबिक खरीफ 2018-19 के दौरान प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन का विवरण इस प्रकार है:-

खाद्यान्न	141.59 मिलियन टन
चावल	99.24 मिलियन टन
मोटे अनाज	33.13 मिलियन टन
मक्का	21.47 मिलियन टन
दलहन	9.22 मिलियन टन
अरहर	4.08 मिलियन टन
उड़द	2.65 मिलियन टन
तिलहन	22.19 मिलियन टन
सोयाबीन	13.46 मिलियन टन

मूंगफली	6.33 मिलियन टन
अरंडी	1.52 मिलियन टन
कपास	32.48 मिलियन गांठें
जूट एवं मेस्ता	10.17 मिलियन गांठें
गन्ना	383.89 मिलियन टन

मानसून सीजन यानी 1 जून से लेकर 12 सितंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान देश में कुल बारिश लम्बी अवधि के औसत (एलपीए) की तुलना में 8 प्रतिशत कम रही है। इस अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में कुल वर्षा सामान्य रही है। तदनुसार, ज्यादातर प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में सामान्य वर्षा हुई है। हालांकि, यह प्रारंभिक अनुमान है और राज्यों से इस बारे में आवश्यक जानकारी मिलने पर इनमें संशोधन किए जाएंगे।

प्रथम अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2018-19 के दौरान खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन 141.59 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले साल हुए 140.73 मिलियन टन के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 0.86 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, इस दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2012-13 से लेकर 2016-17 तक) में हुए 129.65 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 11.94 मिलियन टन अधिक है।

खरीफ चावल का कुल उत्पादन 99.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले साल की 97.50 मिलियन टन की पैदावार से 1.74 मिलियन टन अधिक है। यही नहीं, इस दौरान खरीफ चावल का उत्पादन पिछले पांच वर्षों में हुए औसत उत्पादन से 6.64 मिलियन टन अधिक है।

देश में पौष्टिक/मोटे अनाजों का कुल उत्पादन वर्ष 2017-18 के 33.89 मिलियन टन की तुलना में घटकर 33.13 मिलियन टन के स्तर पर आ गया है। मक्का उत्पादन 21.47 मिलियन टन रहने की आशा है जो पिछले साल के 20.24 मिलियन टन के उत्पादन से 1.23 मिलियन टन अधिक है। इतना ही नहीं, यह पिछले पांच वर्षों में हुए औसत मक्का उत्पादन से 4.40 मिलियन टन अधिक है।

खरीफ दालों का कुल उत्पादन 9.22 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष में हुए 9.34 मिलियन टन की तुलना में 0.12 मिलियन टन कम है। हालांकि खरीफ दालों का अनुमानित उत्पादन पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन से 2.67 मिलियन टन अधिक है।

देश में खरीफ तिलहन का कुल उत्पादन 22.19 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2017-18 में हुए 21.00 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.19 मिलियन टन अधिक है। यह पिछले पांच वर्षों में हुए औसत उत्पादन की तुलना में 2.02 मिलियन टन अधिक है।

गन्ना उत्पादन 383.89 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले साल के दौरान हुए 376.90 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 6.99 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, यह पिछले पांच वर्षों में हुए औसत उत्पादन की तुलना में 41.85 मिलियन टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 32.48 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) और जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 10.17 मिलियन गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) होने का अनुमान लगाया गया है।

अधिक चीनी उत्पादन से निपटने के लिए विस्तृत नीति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने आगामी चीनी सीजन 2018-19 में अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए लागत संतुलन बनाकर चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 5500 करोड़ रुपये की कुल सहायता की स्वीकृति दी है।

इस स्वीकृति से देश से चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और चीनी उद्योग को किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

बकाया स्टॉक अधिक होने के कारण तथा चीनी सीजन 2018-19 में अधिक उत्पादन की संभावना को देखते हुए इस सीजन में भी चीनी मिलों के लिए तरलता की समस्या बनी रहेगी। इसके परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों मे अप्रत्याशित रूप से उच्च वृद्धि होगी।

चीनी सत्र 2018-19 में निर्यात बढ़ाने के लिए आंतरिक परिवहन, ढुलाई, हैंडलिंग तथा अन्य शुल्कों पर आय का खर्च वहन करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत बंदरगाह से 100 किलोमीटर के अंदर स्थापित मिलों के लिए 1000/एमटी रुपये, तटीय राज्यों में बंदरगाह से 100 किलोमीटर आगे स्थापित मिलों के लिए 2500/एमटी रुपये तथा तटवर्तीय राज्यों के अलावा दूसरी जगहों की मिलों के लिए 3000/एमटी की दर या वास्तविक खर्च आधार पर खर्च वहन किया जाएगा। इस पर लगभग कुल 1375 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इसका वहन सरकार करेगी।

किसानों की बकाया गन्ना राशि चुकाने में चीनी मिलों की सहायता के लिए सरकार ने चीनी मिलों को चीनी सत्र 2018-19 में 13.88 रुपये प्रति क्विंटल पेरे हुए गन्ने की दर से वित्तीय सहायता दी का निर्णय लिया है, ताकि गन्ने की लागत का समायोजन हो सके। यह सहायता केवल उन मिलों की दी जाएगी जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं। इस पर कुल 4163 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और सरकार इसका वहन करेगी।

किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रकार की सहायता राशि चीनी मिलों की ओर से सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। एफआरपी के लिए चीनी मिलें किसानों के खेतों में यह राशि देय बकाया राशि के रूप में देंगी।

इसमें पहले के वर्षों की बकाया राशि और बाद की शेष राशि, यदि कोई हो तो, मिलों के खातों में भेजी जाएगी। यह सहायता उन्हीं मिलों को दी जाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करेंगे।

बाजार की मंदी और चीनी मूलयों में गिरावट के कारण चीनी सत्र 2017-18 में चीनी मिलों की तरलता की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इससे गन्ना किसानों

की बकाया राशि बढ़ती गई और मई 2018 के अंतिम सप्ताह में बकाया राशि 23,232 करोड़ रुपये के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई।

चीनी की कीमतों को उचित स्तर पर लाने तथा मिलों की तरलता स्थिति सुधारने के लिए चालू चीनी सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान किसानों को करने में चीनी मिलों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने पिछले छह महीनों में निम्नलिखित कदम उठाएं:-

1. देश में किसी तरह के आयात को नियंत्रित करने के लिए चीनी के आयात पर सीमा शुल्क 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।
2. चीनी उद्योग को चीनी निर्यात की संभावना तलाशने में प्रोत्साहन के लिए चीनी निर्यात पर सीमा शुल्क वापस लिया गया।
3. चीनी सत्र 2017-18 के दौरान निर्यात के लिए मिल के अनुसार 20 एलएमटी का न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) आवंटित किया गया।
4. चीनी मिलों द्वारा आवश्यकता से अधिक चीनी के निर्यात में सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए चीनी के संबंध में शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) योजना फिर से लागू की गई।
5. गन्ने के मूल्य के समायोजन के लिए चीनी मिलों को, चीनी सत्र 2017-18 के दौरान 5.50 क्विंटल पिराई किए गए गन्ने की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
6. अधिसूचित चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 में निर्देश दिया गया है कि कोई चीनी उत्पादक फैक्ट्री गेट पर 29 रुपये प्रति किलोग्राम से कम दर पर श्वेत/शोधित चीनी नहीं बेचेगा। इसके साथ-साथ मिलों पर स्टॉक रखने की सीमा भी लगाई जाएगी।
7. 30 एलएमटी चीनी के सुरक्षित स्टॉक की देखभाल एक वर्ष के लिए चीनी मिलें करेंगी। इसके लिए सरकार लगभग 1175 करोड़ रुपये की ढुलाई लागत वहन करेगी।
8. एथनॉल उत्पादन क्षमता मजबूत बनाने और एथनॉल उत्पादन में चीनी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नई डिस्टिलरी स्थापित करने वाली मिलें/वर्तमान डिस्टिलरी का विस्तार/राख बनाने वाले बॉयलरों की स्थापना तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी और प्रणाली की स्थापना के लिए 4440 करोड़ रुपये के सुलभ ऋण की मंजूरी पहले ही दी गई है। सरकार 1332 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता राशि वहन करेगी।

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज भारत विश्व पटल पर उस स्तर पर पहुंच गया है जहां दुग्ध व्यवसाय में वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए अनेक संभावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। इन्हें मूर्त रूप देने और डेयरी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार राष्ट्र कार्य योजना (विजन 2024) के तहत कुल आवश्यकता 51,077 करोड़ रुपये है। इस लक्ष्य को पाने के लिये केंद्रीय बजट 2017-18 की घोषणा के परिणामस्वरूप पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) की शुरुआत 10881 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ की है जिसके तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को 440 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना से 50 हजार गांवों में 95 लाख दूध उत्पादकों के लाभान्वित होंगें। इसके साथ ही अनेक कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, प्रतिदिन 210 टन दूध को सुखाने की क्षमता, 28000 ग्रामीण स्तर पर बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से प्रतिदिन 140 लाख लीटर की दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप मे 6.5 वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी जिसकी भरपाई 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी। ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है। अब तक 1148 करोड़ रुपये की कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें कर्नाटक (776.39 करोड़ रुपये - 5 उप-परियोजनाएं), पंजाब (318.01 करोड़ रुपये - 4 उप-परियोजनाएं) और हरियाणा (54.21 करोड़ रुपये - 6 उप-परियोजनाएं) शामिल हैं।

श्री सिंह ने बताया कि विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय डेयरी प्लान चरण-1 योजना का कार्यान्वयन भी एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया है। उधर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का कार्यान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 2014-18 के दौरान 560.46 करोड़ रुपये की सहायता सहकारी दुग्ध समितियों के विकास, उनके दुग्ध उत्पादक सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन एवं प्रसंस्करण एवं प्रशीतन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए।

कृषि मंत्री ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत लिंग पृथक्कृत वीर्य के उत्पादन हेतु 10 वीर्य केन्द्रों को चिन्हित किया जा चुका है। इससे बछिया ही पैदा होंगी तथा आवारा पशु की संख्या में कमी आएगी। इसके साथ ही देशी नस्लों के उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ों को पैदा करने के लिए भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी के 20 केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वहीं देशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडसचिप को विकसित किया गया है। इसके साथ ही इंडसचिप के उपयोग से

जीनोमिक चयन के लिए 6000 पशुओं की पहचान की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा मार्च 2018 तक 29 राज्यों से आये प्रस्तावों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 686 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 20 गोकुल ग्राम इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं।

कृषि मंत्री के अनुसार उत्पादन में जोखिम को कम करने के लिए देशी नस्लों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत देशी नस्लों के संरक्षण हेतु दक्षिण भारत के चिंतलदेवी, आंध्र प्रदेश में एक केंद्र तथा उत्तर भारत के इटारसी, मध्य प्रदेश में दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश में पहली बार ई-पशुहाट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी होने की स्थिति में राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल करने का फैसला किया है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान पीएमएफबीवाई के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी नए परिचालन दिशा-निर्देशों का एक हिस्सा है। निर्धारित अंतिम तिथि के दो माह बाद दावों का निपटान करने पर देरी होने के कारण बीमा कंपनियां किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेंगी। बीमा कंपनियों की ओर से अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के तीन माह बाद सब्सिडी में राज्य का हिस्सा जारी करने पर विलम्ब होने के कारण राज्य सरकारें 12 प्रतिशत ब्याज देंगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए नए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नए परिचालन दिशा-निर्देशों में बीमा कंपनियों के आकलन के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवाएं मुहैया कराने में अप्रभावी पाए जाने पर इस योजना से हटाए जाने का विवरण भी दिया गया है। सरकार ने प्रायोगिक आधार पर पीएमएफबीवाई के दायरे में बारहमासी बागवानी फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। नए परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में भी बीमा कवर देने को इस योजना में जोड़ा गया है। इसे प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा फिर से लाभ उठाने की स्थिति से बचने के लिए 'आधार' नंबर को इसमें अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

इस योजना के तहत और ज्यादा संख्या में गैर कर्जदार किसानों का बीमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के अलावा बीमा कंपनियों को पिछले संबंधित सीजन की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा गैर कर्जदार किसानों को नामांकित करने का लक्ष्य भी दिया जाता है। बीमा कंपनियों को इस योजना का प्रचार-प्रसार करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति सीजन प्रति कंपनी सकल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा।

नए परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत अनेक कारगर समाधान पेश करने की बदौलत इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से पार पा लिया गया है। प्रीमियम जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने की मांग को भी नए दिशा-निर्देशों में शामिल कर लिया गया है। इसके अनुसार बीमा कंपनियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे अग्रिम सब्सिडी के लिए कोई अनुमान व्यक्त करें। एकमुश्त प्रीमियम सब्सिडी को सीजन के आरंभ में ही जारी कर दिया जाएगा जो भारत सरकार/राज्य की सब्सिडी के रूप में पिछले वर्ष के संबंधित सीजन की सब्सिडी में कुल हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक पर आधारित होगी। शेष प्रीमियम का भुगतान दूसरी किस्त के रूप में किया जाएगा जो दावों के निपटान के लिए पोर्टल पर उपलब्ध विशिष्ट स्वीकृत कारोबारी आंकड़ों पर आधारित होगी। अंतिम कारोबारी आंकड़ों पर आधारित पोर्टल पर उपलब्ध समस्त कवरेज डेटा के मिलान के बाद अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों के दावों के निपटान में पहले के मुकाबले कम देरी होगी।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा-

1. पारस्परिक हित संबंधी कानूनों, मानकों और उत्पाद नमूनों का आदान-प्रदान,
2. उज्बेकिस्तान में संयुक्त कृषि क्लस्टरों की स्थापना

- फसल उत्पादन और उसकी विविधता के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान

1. आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित बीज उत्पादन में अनुभव का आदान-प्रदान, दोनों देशों में नियमों के अनुरूप बीजों के प्रमाणीकरण के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान, पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए बीजों के नमूनों का आदान-प्रदान
2. कृषि सहायक क्षेत्रों में सिंचाई सहित सक्षम जल उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
3. जेनेटिक्स, प्रजनन, बायो-प्रौद्योगिकी, पादप सुरक्षा, मृदा उत्पादकता संरक्षण, मशीनीकरण, जल संसाधन में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक परिणामों का पारस्परिक उपयोग

- पादप क्वारंटीन के क्षेत्र में सहयोग का

विकास और विस्तार

● पशु स्वास्थ्य, मुर्गी पालन, जेनोमिक्स और क्वारंटीन सुविधाओं सहित पशु पालन के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान

1. वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक गतिविधियों (मेला, प्रदर्शनी, सम्मेलन, संगोष्ठी) पर कृषि तथा खाद्य उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाओं के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान
2. कृषि एवं खाद्य व्यापार में सहयोग
3. खाद्य प्रसंस्करण संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभावनओं की तलाश

● दोनों पक्षाओं के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकृत सहयोग के अन्य क्षेत्र।

समझौते में संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होंगे। इसका कार्य सहयोग की योजना तैयार करना, समझौते के कार्यान्वयन के दौरान उभरने वाली समस्याओं को हल करना और पक्षों द्वारा निर्धारित कार्य के क्रियान्वयन की निगरानी करना होगा। कार्य समूह की बैठक हर दो वर्षों में होगी और यह बारी-बारी से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू होगा और पांच वर्षों की अवधि तक कार्यशील रहेगा। इसके बाद इसका नवीनीकरण स्वमेव पांच वर्षों के लिए हो जाएगा। दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष उसे समाप्त करने की सूचना देगा, समझौता उसी तारीख से भंग माना जाएगा।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को मंजूरी

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।

यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत होने की आशा है। सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है। यह उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित समाहित हैं-

- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)

धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि इस दौरान मिलने वाली जानकारियों के आधार पर खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह पीडीपीएस के अतिरिक्त है।

तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिले/जिले की एपीएमसी में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी। प्रायोगिक आधार पर चयनित जिला/जिले की चयनित एपीएमसी तिलहन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसल को कवर करेगी जिसके लिए एमएसपी को अधिसूचित किया जा चुका है। चूंकि यह योजना अधिसूचित जिन्स की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से पीएसएस से काफी मिलती-जुलती है, इसलिए यह प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों में पीएसएस/पीडीपीएस को प्रतिस्थापित करेगी।

जब भी बाजार में कीमतें अधिसूचित एमएसपी से नीचे आ जाएंगी तो चयनित निजी एजेंसी पीपीएसएस से जुड़े दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में एमएसपी पर जिन्स की खरीदारी करेंगी। जब भी निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जायेगा और अधिसूचित एमएसपी के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा, तो ठीक यही व्यवस्था अमल में लायी जायेगी।

इस व्यवस्था के परिचालन के लिए कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।

इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

वित्त वर्षों 2010-14 के दौरान केवल 3500 करोड़ रुपये मूल्य की कुल खरीद की गई, जबकि वित्त वर्षों 2014-18 के दौरान यह दस गुना बढ़ गई है और 34,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्षों 2010-14 के दौरान इन कृषि जिन्सों की खरीद के लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 2500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई, जबकि वित्त वर्षों 2014-18 के दौरान 1,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 29,000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई है।

भारत सरकार किसी भी मसले को टुकड़ों-टुकड़ों के बजाय समग्र रूप से सुलझाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूर्ण लाभ मिले। इस दिशा में सरकार को इस बात का एहसास है कि यह आवश्यक है कि यदि बाजार में कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से कम है तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को या तो इसे एमएसपी पर खरीदना चाहिए अथवा कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि किसी अन्य व्यवस्था के जरिए किसानों को एमएसपी सुनिश्चित कर दी जाए। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीन उप-योजनाओं के साथ समग्र योजना पीएम-आशा को मंजूरी दी है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीडीपीएस) इन उप-योजनाओं में शामिल हैं।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दालों, तिलहन और गरी (कोपरा) की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत उन सभी तिलहन को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। जिसके लिए एमएसपी को अधिसूचित कर दिया जाता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे। समस्त भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना के तहत फसलों की कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर एमएसपी और बिक्री/मोडल मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। पीडीपीएस के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता तय मानकों के मुताबिक दी जायेगी।

सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं। अनेक राज्यों ने कानून के जरिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाये जा सकें। इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।

इसके अलावा कई अन्य किसान अनुकूल पहल की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन करना और मृदा स्वास्थ्य कार्डो का वितरण करना भी शामिल हैं। खेती की लागत के डेढ़ गुने के फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का असाधारण निर्णय भी किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

भारत और मिस्र के बीच एमओयू

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और मिस्र के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

इस एमओयू के तहत सहयोग के क्षेत्रों में फसल (विशेष तौर पर गेहूं और मक्का), कृषि जैव प्रौद्योगिकी, नेनो टेक्नोलॉजी, जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्यागिकी सहित सिंचाई एवं जल प्रबंधन तकनीक, ऊर्जा उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य संरक्षण, सुरक्षा एवं गुणवत्ता, बागवानी, जैविक कृषि, पशुपालन डेरी, मत्स्य पालन, चारा उत्पादन, कृषि उत्पाद एवं मूल्यवर्धन, पादप एवं पशु उत्पादों के व्यापार से संबंधित स्वच्छता मामलों, कृषि औजारों एवं उपकरणों, कृषि कारोबार एवं विपणन, कटाई से पहले और बाद की प्रक्रियाओं, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण, कृषि में एकीकृत कीट प्रबंधन, कृषि विस्तार एवं ग्रामीण विकास, कृषि व्यापार एवं निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों, बीज के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान एवं मानव संसाधन और पारस्परिक हित वाले अन्य सहमति के मुद्दे शामिल हैं।

शोध वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, कृषि संबंधी सूचनाओं एवं विज्ञान संबंधी प्रकाशनों (पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, बुलेटिन, कृषि एवं सहायक क्षेत्र के सांख्यिकीय आंकड़े), जर्मप्लाज्म एवं कृषि प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियों के जरिए सहयोग को प्रभावी बनाया जाएगा।

इस एमओयू के तहत एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा ताकि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत सहित पारपरिक हित वाले अन्य मुद्दों पर सहयोग को बेहतर किया जा सके। शुरुआती दो वर्षों के दौरान संयुक्त कार्य समूह की बैठक कम से कम साल में एक बार (भारत और मिस्र में) जरूर होगी। इसके तहत संयुक्त कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने, सुविधा एवं परामर्श मुहैया कराने और खास मुद्दों के संदर्भ में अतिरिक्त सहयोग आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि भारत में

लाखों टन अपशिष्ट कृषि एवं इससे जुड़े उद्यम उत्पन्न करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, 70 प्रतिशत अपशिष्ट का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होने के साथ-साथ घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। शेष अपशिष्ट को जैव-अवयवों एवं जैव-ईंधनों में तब्दील किया जा सकता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय हरित ऊर्जा संघ (आईएफजीई) द्वारा 'ऊर्जा उत्पादन में अपशिष्ट की संभावनाएं एवं इसकी चुनौतियां' विषय पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने फसल अवशेषों या पराली को जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने की जरूरत पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पराली को जलाने से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसें मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह हैं और इनसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नाश होता है। उन्होंने यह जानकारी दी कि सरकार फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए 50-80 प्रतिशत की दर से सब्सिडी मुहैया करा रही है। इन मशीनों से फसल अवशेष को मिट्टी के साथ मिश्रित करने में किसानों को मदद मिलती है, जिससे इसे और ज्यादा उत्पादक बनाना संभव हो पाता है। किसान समूहों को विशिष्ट जरूरतों के अनुसार फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की सहायता लेने हेतु कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करने के लिए परियोजना लागत के 80 प्रतिशत की दर से वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीआर हेतु दो वर्षों के लिए 1151.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि खेत में फसल अवशेषों के प्रबंधन से मिट्टी को और भी अधिक उर्वर बनाने में मदद मिलेगी जिससे किसानों की उर्वरक लागत में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये की बचत होगी। फसल अवशेष से पटिया (पैलेट) बनाकर इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। कृषि यंत्रीकरण से जुड़े उप-मिशन के तहत पुआल रेक, पुआल की गठरी, लोडर, इत्यादि पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसके जरिए फसल अवशेष को संग्रहीत किया जाता है और इससे गांठें बनाई जाती हैं, ताकि फसल अवशेष की पटिया (पैलेट) को विद्युत उत्पादन संयंत्रों तक पहुंचाने में आसानी हो सके।

मंत्री महोदय ने कहा कि आईसीएआर के कृषि इंजीनियरिंग प्रभाग ने धान के भूसे के जैव भार (बायोमास) से जैव गैस का उत्पादन करने के उद्देश्य से जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

उन्होंने किसानों से फसल अवशेष या पराली को न जलाने का अनुरोध किया, ताकि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण करने में सहूलियत हो सके।

'सदैव' पुस्तिका का विमोचन

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में 'एनसीडीसी - सहकारी समितियों का मददगार- सदैव!' शीर्षक वाली प्रोफाइल पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका के साथ-साथ उसकी ओर से सहायता प्राप्त विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। श्री सिंह ने कहा कि एनसीडीसी सहकारी समितियों की दुनिया में सर्वाधिक पसंदीदा वित्तीय संस्थान है और 'नया भारत 2022' के मिशन के साथ स्वयं को जोड़ते हुए एनसीडीसी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी दोगुनी करने के मिशन 'सहकार 22' का शुभारंभ किया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) उन सहकारी समितियों का पोषण करता है जो सामान्यत: छोटे एवं सीमांत किसानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एनसीडीसी की कुछ हालिया पहलों में नागालैंड के पांच सुदूरवर्ती जिलों एवं आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में एकीकृत सहकारी विकास के लिए सहायता मुहैया कराना भी शामिल है। इसी तरह मेघालय दुग्ध मिशन, पश्चिम बंगाल की आधुनिक सहकारी बैंकिंग इकाइयों, पश्चिम बंगाल में कृषि यंत्रीकरण, तेलंगाना में बकरी, भेड़ एवं मत्स्य पालन के जरिए आजीविका, केरल एवं राजस्थान में सहकारी बैंकों और गुजरात के राजकोट में महिला डेयरी सहकारी समितियों के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में कृषि उपज के खरीद परिचालन के लिए सहायता मुहैया कराना भी एनसीडीसी की अनगिनत हालिया पहलों में शामिल हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2014 से निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एनसीडीसी की सराहना करते हुए कहा कि अब जारी की गई पुस्तिका सहकारी समितियों के बीच एनसीडीसी की अभिनव सहायता के बारे में प्रचार-प्रसार करेगी।

मूल्य समर्थन योजना के तहत केन्द्रीय सब्सिडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसे मूल्य समर्थन योजनाओं (पीएसएस) के तहत खरीदे जाने वाले दलहन के भंडार से विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम दर पर जारी किया जाएगा।

इस निर्णय से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जन वितरण प्रणाली, मिड-डे मिल इत्यादि विभिन्न कल्याण योजनाओं में दलहन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गोदामों की भी उपलब्धता तैयार की जाएगी, जिसकी मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदी जाने वाली जिंसो के भंडारण के लिए आगामी खरीफ मौसम में आवश्यकता हो सकती है।

इस स्वीकृत योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को वर्तमान थोक बाजार मूल्य के मद्देनजर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की कम दर के आधार पर 34.88 लाख मीट्रिक टन तूर, चना, मसूर, मूंग और उड़द दाल लेने का प्रस्ताव किया गया है, जो

स्रोत राज्य के संबंध में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस दलहन को मिड-डे मिल, जन वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसी कल्याण योजनाओं में इस्तेमाल करेंगी। यह उपलब्धता 12 महीने की अवधि या 34.88 लाख मीट्रिक टन दलहन पूर्ण रूप से प्राप्त करने, जो भी पहले हो, के आधार पर होगी। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 5237 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

पिछले दो वर्षों के दौरान देश में दलहन का अब तक का भारी उत्पादन हुआ है। मूल्य समर्थन योजना के तहत भारत सरकार ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विपणन मौसम के दौरान दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की है।

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश पर काम

माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कई बार यह सवाल उठाया गया है कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट पर कुछ काम नहीं किया गया है, परन्तु सत्य यह है कि वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा किसानों के जीवन स्तर में सुधार व कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्पूर्ण कदम उठाये गये हैं। स्वयं डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन जी ने इसे स्वीकार करते हुए एक अंग्रेजी दैनिक अख़बार के अपने लेख में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि 'एनसीएफ की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी परंतु जब तक नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था। सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल का बेहतर दाम मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए हाल ही में खरीफ 2018 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय की भी सराहना करते हुए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन जी ने अपने लेख में कहा है कि 'कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एनसीएफ की सिफारिश के आधार पर लाभकारी मूल्य की हाल ही में की गई घोषणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस बात पर बल देने के लिए सरकार ने अपनी अधिसूचना में यह सुनिश्चित किया है कि खरीफ, 2018 से अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत होगा और मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 150-200 प्रतिशत होगा।'

समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दृष्टिकोण को सफल बनाने हेतु वैज्ञानिक ढंग से निरूपित एवं यथानुकूल समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) को प्रोत्साहन दिया रहा है। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने किसानों की सुनिश्चित आजीविका एवं आय में वृद्धि के लिए समन्वित कृषि प्रणालीह के विषय पर सत्र के दौरान आयोजित बैठक में दी। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य, सरकारी अधिकारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिक शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि समेकित कृषि प्रणाली को प्राकृतिक एवं उददेश्यपूर्ण समेकित प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं। प्राकृतिक समेकित कृषि किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली वह पद्धति हैं जिसमें प्रणाली के विभिन्न अवयवों/घटकों में प्राय: तालमेल नहीं होता हैं। अत: उददेश्यपूर्ण समेंकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत बहुउददेशीय जैसे उत्पादन में वृद्धि, लाभ, पुनर्चक्रण द्वारा लागत में कमी, पारिवारिक पोषण, टिकाऊपन, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, रोजगार सृजन, आर्थिक क्षमता एवं सामाजिक समरसता का ख्याल रखा जाता हैं।

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश की विदेशों से आयातित खाद्यान्न पर निर्भरता खत्म करने हेतु अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास कर तथा उर्वरकों द्वारा उत्पादन बढ़ाकर देश के खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति की गई, परन्तु बाद में उर्वरक उपयोग क्षमता कम होने के कारण उत्पादकता कम हुई जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी घटती गई। उन्होंने बताया कि भारतीय संसद में प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षो की अवधि के दौरान किसानों की आय में फसलोत्पादन द्वारा वृद्धि का योगदान महज एक प्रतिशत रहा जबकि पशुधन का योगदान सात प्रतिशत रहा।

श्री सिंह ने कहा कि भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से लघु फार्म (2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक) का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में फसलों, बागवानी, पुष्पोत्पादन, सस्य-वानिकी तथा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि संबंधी उद्यम जिनमें कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, खेत के चारों तरफ वृक्षारोपण आदि को स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित किया जा रहा है, जिससें सीमांत एवं लघु किसानों की आजीविका में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थित 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 शोध संस्थानों एवं एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से समेकित कृषि प्रणाली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा 45 समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं जोकि 23 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में बेहतर उत्पादन एवं आय प्राप्त लिए उपयोगी हैं।

बैठक के अंत में श्री राधामोहन सिंह ने संसदीय सलाहकार समिति और लोकसभा के सभी सदस्यों से स्थान विशेष आधारित समेमित कृषि प्रणाली मॉडलों को और अधिक प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हुए कहा कि फसल, बागवानी, पशुधन एवं मत्स्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं को मिलाकर समेकित कृषि प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन के सूत्रपात से किसानों में समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों की सभी समस्याओं के प्रभावी निराकरण का निर्णय

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन द्व ारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में उठाए गए किसानों की समस्याओं के संबंध में गहन विचार-विमर्श हुआ। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा सहित सांसद श्री अनिल जैन उपस्थित थे। भारतीय किसान यूनियन तथा देश के विभिन्न किसान संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र मलिक, श्री अजमेर सिंह लाखोवाल, श्री युद्धवीर सिंह, श्री बलराम लम्बरदार, श्री राजेश सिंह चौहान, श्री दीवानचंद चौधरी, श्री विजयपाल सिंह, श्री के. टी. गंगाधर, श्री राजपाल शर्मा, श्री अनिल तालान, श्री महेंद्र चरौली, श्री राजबीर सिंह जादौन, श्री रतन मान, श्री जगदीश सिंह, श्री के. शैल्ला मुथ्थु, श्री वीरेंद्र डागर, श्री पूरण सिंह, श्री संजय चौधरी, श्री सुखदेव सिंह गिल, श्री रामा स्वामी, श्री डेवीसन, श्री एम. राम, श्री के. वी. राजकुमार एवं श्री के. वी. एलनकिरन उपस्थित थे।

लगभग तीन घंटे चली इस वार्ता के पश्चात किसानों की समस्याओं के प्रभावी रूप से निराकरण के संबंध में सरकार द्व ारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया:-

दस वर्ष से अधिक डीजल वाहनों के संचालन पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के विरुद्ध सरकार पुनर्विचार याचिका अतिशीघ्र दाखिल करेगी। राज्यों को भी समीचीन कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।

मनरेगा को खेती से जोड़ने के लिए नीति आयोग के तत्वाधान में मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति गठित की जा चुकी है जो किसानों से आए सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उक्त समिति में किसानों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा।

खेती में काम आने वाली वस्तुओं को जीएसटी के 5 प्रतिशत की दर में सम्मिलित करने के लिए यह विषय जीएसटी परिषद में शीघ्र ही उचित निर्णय के लिए रखा जाएगा।

सरकार के बजट घोषणा के अनुसार उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी घोषित करने के निर्णय का रबी फसलों में भी अनुपालन किया जाएगा और उसी के अनुसार सभी अधिसूचित फसलों पर इसकी घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही किसानों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को केन्द्र की तरफ से एडवाइजरी भेजी जाएगी जिससे कि उनकी सभी फसलों का उचित दाम सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पर्याप्त पैदावार होने वाली फसलों के आयात को रोकने के लिए कानून सम्मत हर संभव प्रयास किया जाएगा। खरीद के लिए अनुमत अवधि को 90 दिन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उठाये गये मुद्दों पर कृषि राज्यमंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में आ रही परेशानियों पर किसान संगठनों से विमर्श के उपरांत अपनी संस्तुति देगी जिस पर सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी।

जंगली पशुओं द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके इस जोखिम को योजना में पायलट आधार पर शामिल किया गया है। इससे आशा की जाती है कि पायलट में अनुभव के आधार पर सभी प्रभावित जिलों में लागू किया जा सकेगा।

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई समझौता वार्ता के पश्चात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा किसानों से वार्ता करने गए तथा चौधरी नरेश टिकैत एवं चौधरी राकेश टिकैत की उपस्थिति में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी, किसान नेताओं तथा उपस्थित किसानों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में किसानों और उनके प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखीं तथा उपस्थित सभी मंत्रियों ने किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु समझौते में लिए गए निर्णय तथा मानी गई मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी

एएसआरबी में अब तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य होंगे। बोर्ड में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी। स्वायत्तता, गोपनीयता, उत्तरदायित्व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।

एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्टाफ होगा और उसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाले चार सदस्यीय संस्था के गठन से एएसआरबी का कामकाज दुरुस्त हो जाएगा। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो कृषि समुदाय और कृषि के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसी आईसीएआर में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की भर्ती पारदर्शी और कुशल तरीके से संभव होगी। ●

दम दिखा गये किसान

■ महेन्द्र बोरा

- चौधरी चरण सिंह की समाधि 'किसान घाट' पर श्रद्धांजलि देने के बाद अपने घरों को लौटे किसान।
- एक महीने के भीतर मांगें न मानने पर फिर आने की चेतावनी दे गये किसान। कहा अगली बार चार गुना तैयारी के साथ आएंगे।
- कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने लालीपॉप देकर किसानों को फिर छला है, लेकिन किसान अब हकीकत समझ गये हैं।

भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हरिद्वार से 'किसान क्रांति यात्रा' लेकर दिल्ली पहुंचे हजारों किसान अपनी ताकत दिखाकर आखिरकार अपने घरों को लौट गये। सरकार और पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लेकिन यात्रा के समापन होते-होते किसान फिर लौटने की चेतावनी देकर भी गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए किसानों ने साफ कह गए हैं कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगें एक माह के भीतर नहीं मांगी तो वे दोबारा दिल्ली का कूच करेंगे और इस बार पहले से चार गुना तैयारी के साथ आएंगे।

गौरतलब है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 23 सितंबर को हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हरिद्वार के किसान घाट से 'किसान क्रांति यात्रा' लेकर दिल्ली की ओर चले थे। इस दौरान किसानों और पुलिस-प्रशासन के बीच पुरजोर जोर आजमाइश चलती रही। आखिरकार किसानों के प्रति नरम रुख बरतते हुए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती की रात 12.40 बजे किसानों के जत्थे को दिल्ली में किसान घाट जाने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच किया। कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने के बावजूद किसानों ने आंदोलन खत्म कर अपने-अपने घर लौट जाने का फैसला किया।

इस घटनाक्रम पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों को एक लालीपॉप देकर

फिर छलने की कोशिश की है, लेकिन किसान अब उनकी हकीकत को समझ गए हैं। प्रेस वार्ता में सुरजेवाला अपने साथ पार्टी से जुड़े किसान नेताओं को लेकर भी आए थे। लेकिन आंदोलन खत्म हो जाने के कारण उनका विरोध तूल नहीं पकड़ सका।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा- 'फिलहाल किसान राजघाट और किसान घाट पहुंचकर लौट जाएंगे। बाकी बची मांगों के लिए सरकार को मांग पत्र दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने समय मांगा है। लाठीचार्ज के लिए दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी है।'

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैट ने कहा कि किसान घाट पर फूल चढ़ाकर हम अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। 23 सितंबर को शुरू हुई 'किसान क्रांति यात्रा' को दिल्ली के किसान घाट में समाप्त करना पड़ा। चूंकि दिल्ली पुलिस ने हमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने विरोध किया। हमारा लक्ष्य यात्रा को पूरा करना था। अब किसान अपने गांवों की ओर वापस जा रहे हैं।

बुधवार, 3 अक्टूबर को दिल्ली-यूपी सीमा स्थित यूपी गेट पर किसानों ने अपने-अपने गंतव्य पर निकलने से पहले बाबा के नाम से विख्यात चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उनके बेटे राकेश टिकैत के नारे भी लगाए। किसानों ने कहा है कि अभी सरकार ने केवल आश्वासन भर दिया है, उसे जब तक शत-प्रतिशत पूरा नहीं किया जाएगा वह एक नहीं सुनेंगे।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर मंगलवार, 2 अक्टूबर की आधी रात दिल्ली पुलिस ने जैसे ही किसानों के जत्थे को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दी हजारों की संख्या में किसान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट के लिए कूच कर गए थे। किसान घाट पहुंच कर चौधरी चरण सिंह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद किसान लौटने लगे।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि रात करीब एक बजे आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दी गई, वे ट्रैक्टर ट्रॉली, टाटा-407 और जीप में सवार होकर किसान घाट के लिए निकल पड़े। वह देर रात करीब पौने दो बजे किसान घाट पर पहुंचने लगे। वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सोमवार रात ही किसान घाट के चारों ओर बैरिकेटिंग कर दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स की करीब 10 कंपनियां तैनात की गई थीं। मंगलवार रात पुलिसकर्मियों को किसानों को किसान घाट तक जाने देने के निर्देश दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश से किसानों का जत्था राजघाट की ओर से किसान घाट पहुंचा और चौधरी चरण सिंह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिवालय व आइएसबीटी

क्या है स्वामीनाथन की रिपोर्ट? जिसे लागू कराने के लिए किसान कर रहे हैं आंदोलन

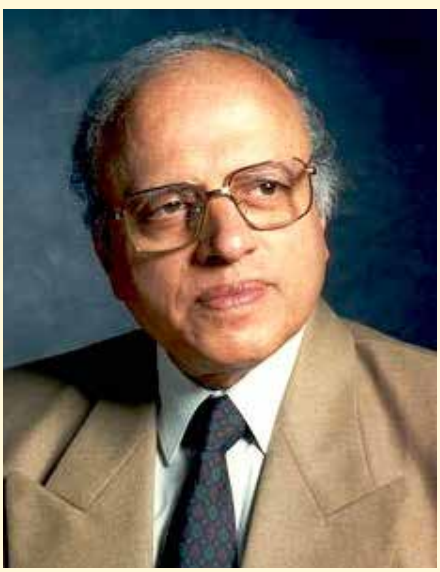

भारत में हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसे अब तक कहीं भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। रिपोर्ट की सिफारिशों में किसानों के हालात सुधारने से लेकर कृषि को बढ़ावा देने की सलाह दी गई थीं। इन्हीं सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसानों ने मंदसौर में हिंसक आंदोलन किया था। महाराष्ट्र में मुंबई में धरने पर बैठने वाले किसानों की भी यही मांगें थीं। अब देशभर के किसान भी यही चाहते हैं। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू की जाएं।

हालांकि सरकारों का यही कहना है कि उन्होंने इसे लागू कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हें पूरे तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसलिए जगह-जगह किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट में प्रमख रूप से निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं-

- फसल उत्पादन मूल्य से पचास प्रतिशत ज्यादा दाम किसानों को मिले।
- किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाएं।
- गांवों में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर बनाये जाएं।
- महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं।
- किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को मदद मिल सके।
- सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का भूमिहीन किसानों में वितरण किया जाए।
- खेतिहर जमीन और वनभूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए।
- फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले।
- खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे।
- सरकार की मदद से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम करके चार फीसदी किया जाए।
- कर्ज की वसूली में राहत, प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्याज से राहत हालात सामान्य होने तक जारी रहे।

की ओर निकल गया। पुलिस का कहना है कि करीब 10 हजार किसान पहुंचे थे। पुलिस को अंदेशा था कि किसान वहां घरने पर बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्रद्धांजलि अर्पित कर किसानों के जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कुछ किसान एक दो-घंटे किसान घाट पर जरूर रुके थे, लेकिन सुबह 5.30 बजे तक सभी वहां से चले गए।

अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पहले दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद यूपी गेट पर डेरा डाले करीब तीस हजार किसानों को मंगलवार, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन देर रात दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाने की किसानों की बात मान ली और रात एक बजे यूपी गेट पर लगाए गए बैरिकेड हटा लिए। किसान देर रात अपने ट्रैक्टर और पुलिस की बसों में भरकर राजघाट के लिए रवाना हो गए।

इससे पहले दिन में यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस के साथ तगड़ी झड़प हुई। किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर बैरिकेड तोड़ दिए। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करन पड़ा और रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लाठियां भी भांजी गईं। इस दौरान करीब दर्जन भर किसान गंभीर घायल हो गए, जबकि अन्य को मामूली चोट आई। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी समेत सात पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र व राज्य के मंत्री और आला अफसर भी किसानों की मान-मनौव्वल में जुटे रहे।

किसानों को रोकने के लिए गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने द्विचक्रीय इंतजाम किए थे। दिल्ली पुलिस ने उप्र से आने वाली दोनों सड़कों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया था। गाजियाबाद की ओर से लिंक रोड पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी। सुबह करीब सवा 11 बजे किसानों ने ट्रैक्टर चलाते हुए पहले गाजियाबाद पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और बाद में दिल्ली पुलिस की। इस पर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग किया। तीन मीडियाकर्मी भी घायल हो गए।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा-407 समेत

किसानों की कुल 15 मांगें

1. देश भर के किसानों की सभी फसलों और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार घोषित किया जाए।
2. किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ किए जाएं।
3. एनजीटी ने 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसे हटाया जाए।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ के बजाय बीमा कंपनियों को लाभ मिल रहा है। योजना में किसानों के हितों के अनुसार बदलाव कर प्रीमियम का पूर्ण भुगतान सरकारों द्वारा किया जाए।
5. किसानों की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जाए। लघु व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए।
6. देश में नीलगाय, जंगली सुअर जैसे आवारा पशुओं के लिए एक नीति बनाई जाए, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई हो सके।
7. किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित बिना देरी भुगतान किया जाए। चीनी का न्यूनतम मूल्य 40 रुपये प्रति किलो तय किया जाए।
8. किसानों को सिंचाई हेतु नलकूप की बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाए।
9. आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का पुनर्वास और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए।
10. मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए।
11. खेती में काम आने वाली सभी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त किया जाए।
12. कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखा जाए। मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि पर चर्चा न की जाए।
13. देश में पर्याप्त मात्रा में पैदावार होने वाली फसलों का आयात बंद किया जाए।
14. देश में सभी मामलों में भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम-2013 से ही किया जाए। भूमि अधिग्रहण को केंद्रीय सूची में रखते हुए राज्यों को किसान विरोधी कानून बनाने से रोका जाए।
15. किसानों की समस्याओं पर संसद का विशेष संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें एक माह तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया जाए।

7 मांगें जो मान ली गई

1. दस वर्ष से अधिक डीजल वाहनों के संचालन पर एनजीटी की रोक के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। राज्यों को भी इसी की तर्ज पर कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
2. मनरेगा को खेती से जोड़ने के लिए पहले ही नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। अब इसमें किसानों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा।
3. खेती में काम आने वाली वस्तुओं पर 5 फीसदी जीएसटी करने के लिए इस विषय को जीएसटी काउंसिल में रखा जाएगा।
4. सरकार के बजट घोषणा के अनुसार उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी घोषित करने के निर्णय का रबी फसलों में भी अनुपालन किया जाएगा। उसी के अनुसार सभी अधिसूचित फसलों पर घोषणा की जाएगी। साथ ही फसल खरीद की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को केंद्र की ओर से एडवाइजरी भेजी जाएगी, जिससे सभी फसलों का उचित दाम सुनिश्चित किया जा सकेगा।
5. पर्याप्त पैदावार होने वाली फसलों के आयात को रोकने के लिए कानून सम्मत प्रयास किया जाएगा। खरीद के लिए अनुमत अवधि को 90 दिन किया जाएगा।
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। यह फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में आ रही परेशानियों पर किसान संगठनों से विमर्श के बाद अपनी संस्तुति देगी। इस पर सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी।
7. जंगली पशुओं द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। इसके लिए योजना में संशोधन किया जाएगा।

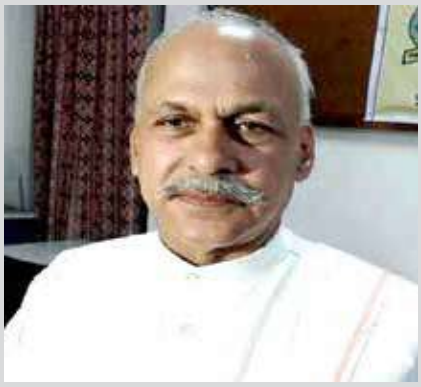

भोपाल में 20 लाख किसान लड़ेंगे आर-पार की लड़ाई

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 28 अक्टूबर को भोपाल में 20 लाख किसानों के साथ अन्नदाता अधिकार यात्रा के बैनर तले आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रमुख शिव कुमार शर्मा (कक्का जी) ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का हब बना डाला है। यहां किसानों के उपयोग में आने वाली यूरिया, कीटनाशक सहित घी-तेल सब नकली बन रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनायी गयी है। 27 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम लेने के बाद अब तक महज 7 हजार करोड़ रुपए ही किसानों को मिले हैं।

कक्का जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किसान विरोधी बताते हुए कहा सरकार उद्योगपतियों के 17 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती है, किसानों को कर्ज देने में उनके बैंक दिवालिया हो जाते हैं। खेती पर जीएसटी लगने के बाद किसानों की आत्महत्या के मामले में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रदेश और केंद्र सरकार की इन्हीं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 15 अगस्त से यात्रा शुरू की गयी है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के सामने 4 और प्रदेश सरकार से संबंधित 28 मांगों के लिए आंदोलन किया जाएगा। समय रहते उक्त मांगें नहीं मानी गईं तो 28 अक्टूबर को भोपाल में आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें 20 लाख से ज्यादा किसान भोपाल पहुंचेंगे।

अन्य वाहनों में आए किसानों को मंगलवार सुबह राजधानी में प्रवेश करने देने से दिल्ली की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती थी। पांच हजार से अधिक किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने देर रात तक उन्हें उत्तर प्रदेश-दिल्ली की सीमा पर रोके रखा।

दिल्ली पुलिस के लिए किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना बड़ी चुनौती थी। पुलिस की पुख्ता व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आम तौर पर दो या तीन स्तरीय बैरिकेड लगाती है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए सात स्तरीय बैरिकेड लगाए गए थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो स्तरीय बैरिकेड लगाए थे। उसके बाद 40 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए थे। यूपी पुलिस के बैरिकेड के बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड से पहले पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े रखे थे, जिसे जर्सी बैरियर कहते हैं। मंगलवार सुबह जब किसान दिल्ली कूच करने लगे, तब यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किसानों ने जब धमकी दी तो यूपी पुलिस डर गई और उनके आगे घुटने टेक दिए। किसान टैक्टर से उनके दोनों बैरिकेड तोड़कर चंद मिनटों में दिल्ली पुलिस के जर्सी बैरियर के पास पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। सैकड़ों की संख्या में लाठी लिए किसानों ने जब पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया तो हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर आंसू गैस व रबर बुलेट चलानी शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से किसानों को देर रात तक दिल्ली आने से रोका गया। उसके बाद देर रात किसानों को किसान घाट जाने की अनुमति दे दी गई। तब तक करीब 80 फीसद किसान अपने घर लौट चुके थे। यदि सारे किसान दिल्ली की ओर कूच करते तो दिल्ली की कानून व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ सकती थी। ●

सरकार ने बढ़ाया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

मंत्रिमंडल ने 2018-19 विपणन वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी। फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था।

एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है।

कहां जाई का करी

खेती-किसानी पर लगातार संकट गहराता गया है। इसकी वजह से गांवों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है। कृषि क्षेत्र के विकास के दावे हर सरकार करती है, पर हकीकत यह है कि न तो किसानों को उचित मूल्य पर खाद-बीज उपलब्ध होता है और न उनकी फसल की माकूल मिल पाती है। इसके चलते किसान खुदकुशी का सिलसिला बना हुआ है। किसानी की दशा सुधारने की मांग को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं, पर वे कारगर साबित नहीं होते। कृषि क्षेत्र की दुश्वारियों और किसान आंदोलनों की विफलता पर चर्चा कर रहे हैं- राजकुमार।

भारतीय कृषि व्यवस्था, किसानी संस्कृति और किसान गहरे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसका अंदाजा विदर्भ के मरहूम किसान श्रीकृष्ण कलंब के अनुभवों से गुजर कर लगाया जा सकता है-

'अलग था मैं/ इसलिए अलग थी मेरी जिंदगी/ मेरी मृत्यु भी/ बेमौसम बारिश की तरह/ असामयिक/ कविताओं से प्यार है मुझे/ काली मिट्टी में कॉटन के पौधे की तरह है मेरा अस्तित्व/ जिसकी जड़ें मीठी हैं/ गन्ने की कठोर परतों के भीतर मिठास की तरह/ मेरी मृत्यु के बाद वे कहेंगे/ ऐसे टंगा है यह/ जैसे फूलों से सजा हो चौखट।'

क्या हम इन पंक्तियों में एक किसान की अकाल मृत्यु की आहट सुन पा रहे हैं? व्यवस्थागत नीतियों और सत्ता की चट्टानी चुप्पी के बीच एक किसान के जिंदगी न जी पाने की गहरी नाउम्मीदी को पढ़ पा रहे हैं? पता नहीं इन पंक्तियों को लिखते हुए उसकी आत्मा कितनी दरकी होगी, अंगुलियों में कितनी थरथराहट हुई होगी, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। श्रीकृष्ण कलंब ने कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों के आगे समर्पण कर दिया और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उनकी डायरी में दर्ज ये कविताएं मिलीं। कविता में और असल जिंदगी में दोहरी आत्महत्या का ऐसा उदाहरण दुनिया में शायद ही मिले।

भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में केन्द्रीकृत सत्तागत तथा सांस्थानिक नीतियों के कारण हो रहे परिवर्तन का ग्रामीण भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है- ऐसा उन्होंने

पिछले तीन-चार सालों में अचानक किसान आत्महत्या के आंकड़ों में गिरावट दिख रही है। पी. साईनाथ ने उन आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां किसान आत्महत्या की खबरें ज्यादा थीं, वहां महज साल भर के अंदर चमत्कारिक रूप से किसान आत्महत्या की खबरें कम हो गयी हैं। उन्होंने पाया कि इन्हीं राज्यों में 'अन्य कारणों' से लगभग सवा सौ प्रतिशत से अधिक आत्महत्याओं की खबरें बढ़ गई। खेती पर निर्भर किसान के अलावा 'खेतिहर मजदूर' भी होते हैं, जिनकी आत्महत्या की खबरें गायब हैं। किसानों की आत्महत्याएं बीमारी, अवसाद, पारिवारिक समस्या के खाते में ढकेल दी गयी हैं।

अपनी डायरी में दर्ज किया। सरकारें गहरी नींद में सो रही हैं और किसान तबाह हो रहे हैं- ऐसे गहरे राजनीतिक मंतव्य उनकी कविताओं से निकलते और आर्तनाद सुनाई पड़ता है। मगर उनकी गूंगी चीखें बैंक कर्ज देने वालों, सूदखोरों और हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती हैं।

नब्बे के मध्य से 2014 तक तीन लाख से अधिक किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं की हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2004 में अठारह हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। 2010 में लगभग सोलह हजार, 2011 में चौदह हजार से अधिक, 2012 में तेरह हजार से अधिक, 2013 में ग्यारह हजार से अधिक, 2014 और 2015 में बारह हजार से अधिक किसानों से आत्महत्या की। यह सिलसिला रुका नहीं है। यानी सत्ता-प्रतिष्ठान की नीतिगत विफलताएं स्पष्ट हैं। इससे यह भी साफ होता है कि किसानों और कृषि-व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकारों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। चूंकि वे चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, किसानों की मौत और सत्ता से बेदखली का डर उन्हें इतना सताता है कि वे हर तरह के छल करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े वास्तविकता से ज्यादा सरकारों के बचाव को सामने रखते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी से सरकारें अपना मानवीय चेहरा सामने लाती हैं और समाज के क्रूर यथार्थ को छिपा लेती हैं।

पिछले तीन-चार सालों में अचानक किसान आत्महत्या के आंकड़ों में गिरावट दिख रही है। पी. साईनाथ ने उन आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां किसान आत्महत्या की खबरें ज्यादा थीं, वहां महज साल भर के अंदर चमत्कारिक रूप से किसान आत्महत्या की खबरें कम हो गयी हैं। उन्होंने पाया कि इन्हीं राज्यों में 'अन्य कारणों' से लगभग सवा सौ प्रतिशत से अधिक आत्महत्याओं की खबरें बढ़ गई। खेती पर निर्भर किसान के अलावा 'खेतिहर मजदूर' भी होते हैं, जिनकी आत्महत्या की खबरें गायब हैं। किसानों की आत्महत्याएं बीमारी, अवसाद, पारिवारिक समस्या के खाते में ढकेल दी गयी हैं। सरकार ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई कि किसानों की आत्महत्याओं में दस प्रतिशत की कमी आई है। पर सच्चाई यह है कि एनसीआरबी जो दूसरी एजेंसियों से औचक सर्वेक्षण हासिल किए थे, उनकी एक बार भी जांच-पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई और सच पर भ्रम की एक और चादर चढ़ा दी। हकीकत यह है कि किसान सरकार के एजेंडे और प्राथमिकता के केन्द्र में नहीं हैं। वे परिधि से बाहर छिटके हैं।

किसान लगातार छले जा रहे हैं। उनकी आवाजें अनसुनी हो रही हैं। उम्मीदों के सहारे जीना मुश्किल हो रहा है। वे किसानी के दुश्चक्र को तोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उससे कुछ बेहतर जीवन भी हासिल नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार किसानों के आंदोलन उठते रहे हैं। उनका असंतोष फन उठाता रहा है। कई राज्यों में प्रभुत्वशाली जातियां, जो खेती-किसानी से जुड़ी रही हैं, वे अब अचानक आरक्षण की मांग के लिए हिंसक हो उठी हैं। उसकी बड़ी वजह खेती-किसानी के धंधे का चौपट होना और हाड़तोड़ मेहनत के बाद घाटे का सौदा होना है। किसानी अपनी अगली पीढ़ी को खेती की तरफ जाने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं कर रहे। नई पीढ़ी भी खेतीबाड़ी के यथार्थ को समझती है। किसान और किसानी व्यवस्था से जुड़े लोग कई तरह से अपने आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। कभी वे फसल और उत्पाद की सही कीमत न मिलने पर या कहें लागत मूल्य से भी बहुत नीचे बेचने पर मजबूर होने पर फसलों को या तो खेतों में ही नष्ट करते हैं, जोत देते हैं, या ध्यानाकर्षण के लिए सड़कों, चौक-चौराहों पर, या सरकारी दफ्तरों के बाहर फेंक आते हैं। शायद ही कोई छमाही गुजरती है जब किसी न किसी राज्य या क्षेत्र से ऐसी खबरें न आती हों। अभी राजस्थान में लहसुन की इतनी पैदावार हुई कि उसे कोई तीन रुपये किलो भी खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि उसे खेत से बाजार तक पहुंचाने का खर्च पांच रुपये प्रति किलो बैठता है। अमरोहा में किसानों से टमाटर सड़कों पर फेंक दिया।

इसका एक कारण यह भी है कि खेतिहर मजदूर अन्य क्षेत्रों की देखादेखी अधिक मजदूरी मांगने लगे हैं। जबकि उत्पादन मूल्य न बढ़ने से किसान घाटे में जा रहे हैं। कई बार यह भी देखने में आता रहा है कि अगर पीछे के दिनों में किसी चीज की कीमत बढ़ी तो किसान लोभवश उसे ही उगाने लगते हैं, ताकि अच्छा बाजार भाव मिले। कर्ज लेकर या अधिक श्रमिक लगाकर फसल उगा लेते हैं। अगर फसल अधिक पैदा होती है तो कीमतें

सरकारी खरीद का हिसाब-किताब भी ठीक नहीं है। कभी गोदाम की कमी आड़े आती है, तो कभी नौकरशाही, तो कभी लेटलतीफी। ऐसे में सरकार अक्सर कम खरीद पाती है। किसानों के पास रखने की जगह की कमी होती है, इसके लिए बाजार में उतारना उनकी मजबूरी होती है। उत्पादन अधिक होने पर कम कीमत में बिचौलिए या आढ़तिए खरीदते और बड़ी कीमत पर बेचते हैं। फायदा न सीमांत किसानों का होता है और न आम उपभोक्ता का, बल्कि बिचौलिए और आढ़तिए मौज करते हैं। हाल की कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि किसान से बेहतर स्थिति किसानी मजदूरों की हो रही है।

नीचे चली जाती हैं और किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती है। वह कर्जदार बना रहता है। ऐसे में किसानों का गुस्सा और निराशा स्वाभाविक है।

किसानों की यह त्रासदी अभूतपूर्व इन अर्थों में है कि एक तरफ हम मध्य वर्ग के जीवन स्तर मे सुधार की बात कर रहे हैं, साथ ही यह भी देख रहे हैं कि एक ऐसा उच्च वर्ग भी खड़ा है, जिसके पास इतना अकूत धन है कि बिना कमाए भी कई पीढ़ियां भी खर्च करती जाएं तो भी जमा-पूंजी खत्म नहीं होगी, दूसरी तरफ साठ फीसद से अधिक किसान कर्ज में डूबे हैं। वे लोन न चुका पाने की स्थिति में जीवन और परिवार खो रहे हैं। उनकी दुर्दशा सुधारने के लिए सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में जो आयोग गठित किया, वह बारह वर्ष बाद भी लागू होने की बाट जोह रहा है।

हाल के वर्षों में किसान आंदोलन तीव्र होने का एक बड़ा कारण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी है। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं, फसलों की सरकारी खरीद हो और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए तमाम किसान संगठन जोर लगाए हुए हैं। किसानों को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। आयोग की सिफारिश के मुताबिक उत्पादन लागत से पचास प्रतिशत अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसानी संस्कृति के क्षरण, घटती किसानी और कामगार की दृष्टि से देखें तो यह कदम बेहद सराहनीय लगते हैं और संगठनों की पहल भी। लेकिन यह तभी उचित और कारगर होगा जब आयोग की सिफारिशों को पूर्णता में लागू किया जाए। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ना या इस पर जोर देना, किसानों के भीतर पहले से ही मौजूद वर्गीय खाई को और चौड़ा करना होगा।

इस देश में पचासी फीसद किसान छोटे या निम्न मध्यवर्ग के हैं। पंद्रह प्रतिशत किसानों के पास जमीन का कुल छप्पन प्रतिशत है। किसानों के नमूना सर्वेक्षण 2013 के आंकड़े भी कहते हैं कि तेरह प्रतिशत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा उठा पाते हैं। पिछले तीन-चार वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि यह दायरा सिमट कर छह फीसद तक आ गया है।

न्यूनतम समर्थन मिलने भर से किसानों का संकट दूर नहीं होगा। अगर न्यूनतम समर्थन बढ़ेगा जो जाहिर है उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। फर्ज कीजिए एक किसान जिसने आलू उगाया, उसे उसकी सही कीमत मिल जाएगी। लेकिन जब उसे टमाटर, प्याज, दाल या अन्य जरूरी चीजें खरीदनी पड़ेंगी तो तब वह बाजार से महंगी कीमत पर खरीदेगा। ज्यादातर किसानों की स्थिति यह है कि वे सभी तरह की फसलें नहीं उगा पाते या उनकी जमीन में सभी तरह की फसल नहीं होती। मिट्टी, मौसम, क्षेत्र या पानी आदि की उपलब्धता भी खेती के लिए सबसे अनिवार्य कारक हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि एक किसान जितना फायदा नहीं उठाएगा उससे ज्यादा घाटा सहेगा। किसानों की वर्गीय संरचना को ठीक से जाने बगैर हक की उचित लड़ाई भी उलटा पड़ सकती है। खेती को उद्योग की तरह इस्तेमाल करने वाले किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन इसके व्यापक स्तर पर नुकसान की संभावना है।

सरकारी खरीद का हिसाब-किताब भी ठीक नहीं है। कभी गोदाम की कमी आड़े आती है, तो कभी नौकरशाही, तो कभी लेटलतीफी। ऐसे में सरकार अक्सर कम खरीद पाती है। किसानों के पास रखने की जगह की कमी होती है, इसके लिए बाजार में उतारना उनकी मजबूरी होती है। उत्पादन अधिक होने पर कम कीमत में बिचौलिए या आढ़तिए खरीदते और बड़ी कीमत पर बेचते हैं। फायदा न सीमांत किसानों का होता है और न आम उपभोक्ता का, बल्कि बिचौलिए और आढ़तिए मौज करते हैं। हाल की कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि किसान से बेहतर स्थिति किसानी मजदूरों की हो रही है।

बीते मार्च के महीने में किसान आंदोलन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऐसे दृश्य कम ही दिखते हैं। इसके पीछे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना ही माना जाता है। लेकिन जिस अभूतपूर्व दृश्य की तरह वह आंदोलन सड़कों पर दिखा, फिर पानी के बुलबुले की भांति विलुप्त हो गया। आंदोलन में उमड़े किसान अचानक बिखर गये, यह सुनकर कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इतनी इच्छाशक्ति नहीं दिखाई कि उसे ठीक से लागू

किसान आंदोलन इसलिए भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि ज्यादातर किसान संगठन दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी के ही संगठन हैं। वही किसानों को संगठित करते और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जिस संगठन का नेतृत्व पार्टियों के हाथ नहीं है वे पीछे छूट जाते हैं या ऐसे संगठनों का नेतृत्व एनजीओ किस्म की संस्थाएं करती हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संगठन पार्टी की नीतियों के खिलाफ मुश्किल से जा पाते हैं। दबाव पड़ते ही वे झुकते हैं, हटते हैं या समझौते करते हैं। आंदोलन जब व्यापक, प्रभावी और कारगर होता है और राजनीतिक पार्टी उसे मानने को तैयार नहीं होती तो यह नौबत उन्हें झेलनी होती है।

किया जा सके। स्वामीनाथन आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उन पर अमल होना बगैर लंबे संघर्ष, विद्रोह और क्रांति के संभव ही नहीं है। आयोग की सिफारिशें कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की बात करती हैं। उसमें भूमि सुधार पर काफी बल है। भूमिहीनों में भूमि बांटना, बेकार जमीन देना, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने के हक देना, फसल बीमा की सुविधा सभी किसानों तक पहुंचे, कम ब्याज पर कर्ज देना, महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड देना, अच्छी गुणवत्ता के बीज कम कीमत पर उपलब्ध कराना, किसानों के लिए ज्ञान चौपाल बनाना, प्राकृतिक आपदा या फसल नष्ट होने की स्थिति से निपटने के लिए कृषि जोखिम फंड बनाना, लगातार प्राकृतिक आपदा या संकट की स्थिति में कर्ज वसूली से तब तक राहत दी जाए जब तक उस क्षेत्र में स्थिति सामान्य न हो जाए, फसल उत्पादन मूल्य से पचास फीसद अधिक कीमत किसनों को मिले और खेतिहर जमीन, वनभूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों को कॉरपोरेट का न दिया जाए।

इन सिफारिशों के साथ किसान आंदोलन को मिलाकर पढ़ें तो असलियत समझ में आती है। किसान आंदोलनों से जुड़े संगठनों के पास शायद ही इसका खाका हो कि देश में कितनी भूमि किस क्षेत्र में है जो भूमिहीनों को दी जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि देश के सभी किसान संगठन एक साथ बैठकर राज्यवार, क्षेत्रवार खाका उपलब्ध कराकर पूरे देश में एक साथ आंदोलन छेड़ें। सरकार ने पहले ही कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से हाथ खींचकर सब कॉरपोरेट घरानों और बाजार के हवाले कर दिया है, ऐसे में कृषि जोखिम फंड, फसल बीमा और आपदा की स्थिति बनी रहने तक राहत देने की बात कितनी मुश्किल है, समझा जा सकता है। देश के नामी-गिरामी राजनेता खुद ही किसान बनने और उसके लाभ उठाने को तत्पर हैं। कॉरपोरेट घराना कृषि को उद्योग बनाने में लगा है। कॉरपोरेट घराने कॉरपोरेट खेती के लिए सरकार से मुफ्त या मामूली टोकन मनी देकर खुद ही जमीन हथिया रहे हैं। वे परंपरागत रूप से खेती कर रहे किसानों को विस्थापित कर रहे हैं। ऐसे में गरीब किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों को कौन पूछेगा? कॉरपोरेट घरानों ने जंगल, जमीन, पानी सब पर कब्जा जमाया हुआ है। खेतिहर जमीन पर पहले से ही उसकी निगाहें हैं। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट धूल फांकने के अलावा क्या कर सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड या महिला किसान क्रेडिट कार्ड देना आसान था, जिसकी तरफ सरकार ने पहल की। इसमें भी ज्यादातर उन्हीं ने फायदा उठाया, जो बड़े किसान हैं और व्यावसायिक खेती करते हैं। किसानों के क्रेडिट कार्ड पर उन लोगों ने कर्ज ले लिया जो उससे अधिक ब्याज पर कर्ज लेते थे। इसमें भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के आंकड़े में सुधार दिख रहा है। किसान संगठनों का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि जरूरतमंद किसानों तक उसका लाभ पहुंचाने में सफलता हासिल करे। वे ऐसा कर पाए हैं, यह साफ नहीं है।

किसान आंदोलन इसलिए भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि ज्यादातर किसान संगठन दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी के ही संगठन हैं। वही किसानों को संगठित करते और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जिस संगठन का नेतृत्व पार्टियों के हाथ नहीं है वे पीछे छूट जाते हैं या ऐसे संगठनों का नेतृत्व एनजीओ किस्म की संस्थाएं करती हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संगठन पार्टी की नीतियों के खिलाफ मुश्किल से जा पाते हैं। दबाव पड़ते ही वे झुकते हैं, हटते हैं या समझौते करते हैं। आंदोलन जब व्यापक, प्रभावी और कारगर होता है और राजनीतिक पार्टी उसे मानने को तैयार नहीं होती तो यह नौबत उन्हें झेलनी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तभी संगठन आंदोलन करता है। सत्ता में होने पर आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं या उभरे हुए आंदोलन के भीतर बिखराव उत्पन्न करते हैं। अलग-अलग राज्यों में अपनी सरकार का बचाव भी करते हैं, लेकिन दूसरी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत होते हैं। ऐसे में उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद होती है।

जब भी आंदोलन खड़ा होता है, किसानों को फौरी राहत के नाम पर सब्सिडी में तब्दील कर दिया जाता है। बिजली, डीजल, सस्ते बीज, खाद आदि से मामला आगे बढ़ नहीं पाता है। इन मांगों के लिए भी किसानों को चुनाव आने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किसान और किसानी पर संकट के बादल अनवरत बने रहते हैं।

-साभार: जनसत्ता

जरूरत से ज्यादा गन्ने का उत्पादन

गन्ना किसानों की समस्या का एकमात्र हल यह है कि गन्ने का उत्पादन कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के मूल्य के दामों में भारी कटौती की जाए। गन्ने का दाम कम होगा तो किसान स्वयं गन्ने का उत्पादन कम करेंगे। इससे पानी भी बचेगा, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है।

■ **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

गन्ना किसान इस समय दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो वह भी देरी से। वहीं भूजल स्तर में लातार गिरावट आ रही है। इससे उत्पादन का खर्च भी बढ़ रहा है। किसानों को समय से भुगतान न मिलने का मुख्य कारण यह है कि गन्ने का दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि चीनी मिलों को चीनी बाजार भाव पर बेचनी पड़ती है। वर्तमान में बाजार भाव पर गन्ने का यह ऊंचा दाम अदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे जैसे गृहणी को कहा जाए कि अच्छी गुणवत्ता का आटा लाए, लेकिन उसका बजट न बढ़ाया जाए। ऐसे में समस्या पैदा हो जाती है। गन्ने का ऊंचा दाम होने से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान गन्ने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं जबकि चीनी मिलें उससे उत्पादित चीनी को बेचने में असमर्थ हैं। चीनी मिलों को घाटा हो रहा है। फिलहाल गन्ने का दाम लगभग 2,800 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं अमेरिका में इसका दाम 2,200 रुपये प्रति क्विंटल है। विश्व बाजार में चीनी का दाम आज लगभग 22 रुपये प्रति किलो है जबकि भारत में यह लगभग 35 रुपये प्रति किलो है। इससे अंदाजा लगता है कि भुगतान की समस्या मूलत: गन्ने के ऊंचे दाम निर्धारित किए जाने के कारण हैं। इस समस्या का एक हल यह हो सकता है कि चीनी के अधिक उत्पादन का निर्यात कर दिया जाए, परंतु यह भी कठिन है, क्योंकि विश्व बाजार में चीनी का दाम भारत से कम है। इसीलिए भारत में उत्पादित चीनी को बेचने के लिए सरकार को भारी मात्रा में निर्यात सब्सिडी देनी होगी। इसमें विश्व व्यापार संठन यानी डब्लूटीओ के नियम आड़े आएंगे और सरकार के ऊपर खर्च का बोझ भी पड़ेगा। सरकार पहले उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी देकर गन्ने का उत्पादन बढ़ा रही है और फिर उस बढ़े हुए उत्पादन पर निर्यात सब्सिडी देकर उसका निष्पादन कर रही है। यह उसी प्रकार हुआ कि जैसे आप आलू का एक बोरा बाजार से

खरीद लाएं और फिर कुली को पैसे देकर कहें कि उसे कूड़ेदान में फेंक दे। इस प्रकार की दोहरी मार सरकार पर पड़ रही है तो निर्यात का रास्ता सफल नहीं होगा।

दूसरा संभावित हल है कि गन्ने से चीनी बनाने के स्थान पर पेट्रोल बना लिया जाए। गन्ने से एथनॉल नाम का उत्पाद बनता है जिसे पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। ब्राजील ने इस नीति का सफल इस्तेमाल किया है। वह गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है। विश्व बाजार में जब पेट्रोल महंगा होता है तो ब्राजील गन्ने का उपयोग एथनॉल के उत्पादन के लिए करता है और चीनी का निर्यात कम कर देता है। इसके विपरीत जब विश्व बाजार में चीनी का दाम अधिक होता है तो एथनॉल का उत्पादन कम करके चीनी का उत्पादन बढ़ाता है और उस चीनी को निर्यात करता है। भारत सरकार भी ब्राजील की नीति को अपनाना चाह रही है। सरकार का प्रयास है कि देश में एथनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे आयातित तेल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाए और चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या से भी मुक्ति मिले। गन्ने का उपयोग एथनॉल बनाने के लिए होगा तो चीनी का उत्पादन कम किया जा सकेगा।

इस नीति में संकट पानी का है। भारत में ब्राजील की तुलना में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। ब्राजील में प्रति वर्ग किलोमीटर दायरे में 33 लोग रहते हैं जबकि भारत में 416 लोग। ब्राजील में औसत वार्षिक वर्षा 1250 मिलीमीटर होती है जबकि भारत में 500 मिलीमीटर। इन दोनों आंकड़ों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि ब्राजील में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति तीस गुना पानी अधिक उपलब्ध है। जब ब्राजील गन्ने का उत्पादन अधिक करता है तो वहां पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है और वर्षा अधिक। वहां पानी की खपत भी कम है। हमारे यहां गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर उससे एथनॉल बनाने का सीधा परिणाम यह होगा कि वर्तमान में भूमित जल का जो स्तर गिर रहा है वह और तेजी से घटेगा। भूमित जलस्तर गिरने से समस्याएं पैदा होंगी। हराई से पानी निकालने में बिजली अधिक खर्च होगी।

यह देखने को मिल रहा है कि किसानों को हर दूसरे-तीसरे वर्ष अपने ट्यूबवेल की हराई बढ़ानी पड़ रही है। वे अर्से से भूजल का दोहन करके ही गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं-बिल्कुल वैसे जैसे कोई बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर अपनी जीविका चलाए। अंतत: फिक्स डिपॉजिट की रकम खत्म होनी ही है। इसी तरह यदि सदियों से संचित भूमित जल को हम गन्ना उत्पादन के लिए उपयोग करते रहें तो वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब देश के सामने खाद्य सुरक्षा का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। गन्ने का उत्पादन करके हम उसकी खपत एथनॉल बनाने में कर लें, परंतु देश के पास गेहूं और चावल उत्पादन करने के लिए पानी नहीं रह जाएगा। इसलिए एथनॉल बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन भी फिलहाल बहुत कारगर विकल्प नहीं मालूम पड़ता जिस पर अमल किया जाए।

इस समस्या का तीसरा हल यह सुझाया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ जरूरत से ज्यादा चीनी के उत्पादन को खरीद कर बफर स्टॉक बना ले। भारत में चीनी की सालाना खपत 2.6 करोड़ टन है। इसके लिए एक करोड़ टन का बफर स्टॉक हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और इस वर्ष 3.6 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक हमारे पास दो करोड़ टन का बफर स्टॉक हो जाएगा। यदि हम गन्ने के उत्पादन की नीति पर डटे रहे तो अगले वर्ष यह और बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस नीति के तहत चीनी के अधिक उत्पादन का हल नहीं खोजा जा सकता।

गन्ना किसानों की समस्या का एकमात्र हल यह है कि गन्ने का उत्पादन कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के मूल्य के दामों में भारी कटौती की जाए। गन्ने का दाम कम होगा तो किसान स्वयं गन्ने का उत्पादन कम करेंगे। इससे पानी भी बचेगा, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। गन्ने की एक फसल का उत्पादन करने में लगभग 20 बार पानी दिया जाता है जबकि गेहूं अथवा धान को दो या तीन बार सींचने से ही काम हो जाता है। एक और लाभ यह होगा कि सरकार द्वारा बिजली, उर्वरक और निर्यात पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी भी बचत होगी। समस्या यह है कि इससे किसान उद्वेलित होंगे। इसका उपाय यह है कि उर्वरक, बिजली और निर्यात के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दे। इससे किसान को सीधे रकम मिल जाएगी और उनके लिए गन्ने के अधिक उत्पादन का मोह समाप्त हो जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

साभार: दैनिक जागरण

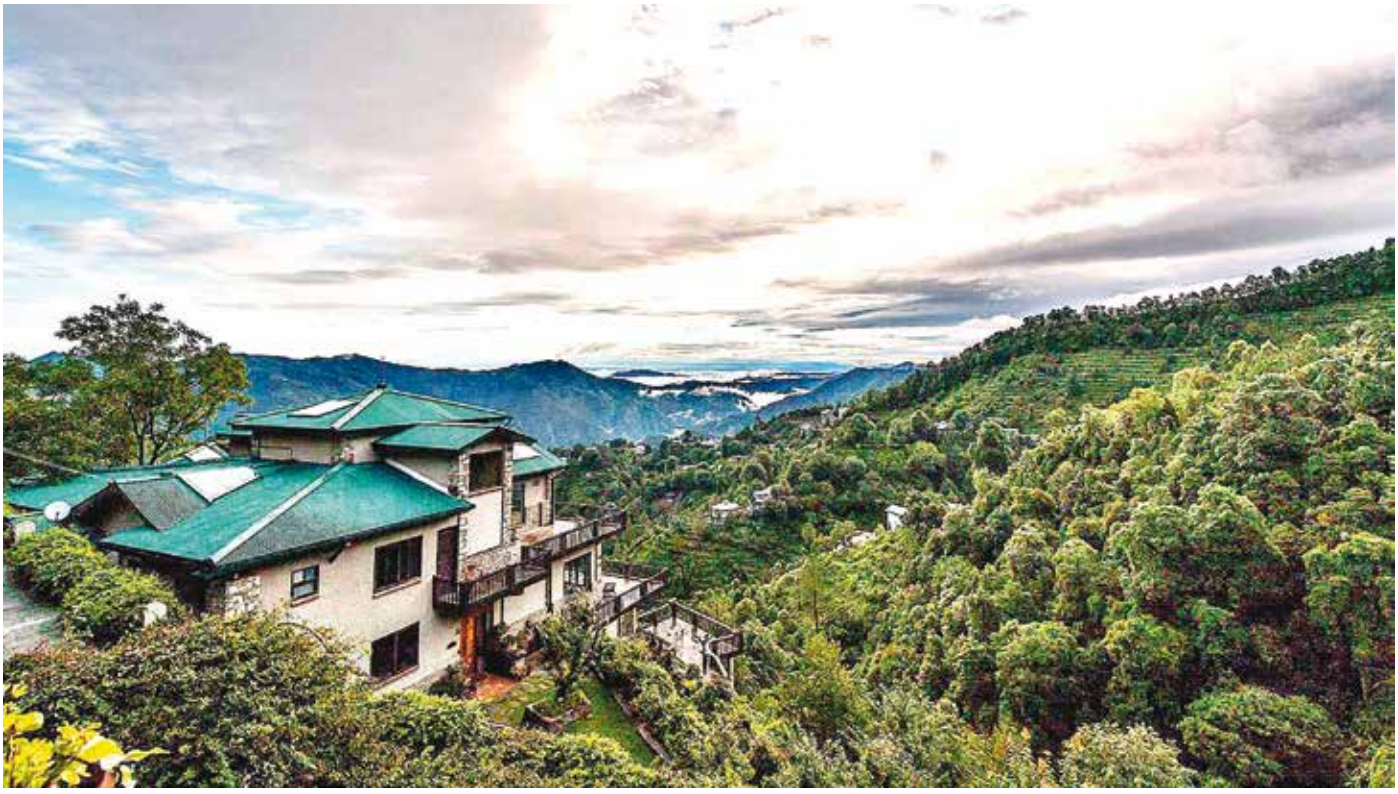

पर्वतीय विकास का चश्मा बदलिए

पर्वतीय विकास की विसंगतियों की शुरुआत ही यहां से होती है कि इस अंचल को बाहरी असरदार लोगों ने या तो होटल के रूप में देखा है या संसाधनों के पिटारे के रूप में। अंग्रेजों व राजे-रजवाड़ों के दिनों से लेकर आज तक यहां वनों की कटाई और खनिजों का दोहन बदस्तूर चलता रहा है।

■ **भारत डोगरा**

भारत के हिमालयी भूभाग का विकास आज भी दिल्ली के वातानुकूलित कार्यालयों में नक्शा फैलाकर बैठे योजनाकारों और उनके छोटे-बड़े बाबुओं के भरोसे और राय पर टिका हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हमारे देश के नीतिनियंताओं की सोच इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों की लूट से कभी आगे नहीं जा सकी है। आज हालात यह हो चुके हैं कि हिमालयी राज्यों के अनेक प्रांतों में पलायन के कारण जनसंख्या काफी विरल हो चुकी है। खेती-बाड़ी जंगली सूअरों और उत्पाती बंदरों कें कारण लगभग उजड़ चुकी है। दूसरी ओर इन पर्वतीय राज्यों का दिल्ली के अंत:पुरों में बैठकर शासन संचालन करने वाले हाकिम इन राज्यों पर गुजरने वाली भीषण आपदाओं से भी संपदा बनाने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। उत्तराखंड में विगत 2013 में आयी भयंकर जलप्रलय के दौरान राहत कार्यों के नाम पर की गयी लूट का खुलासा इसका जीता जागता उदाहरण है।

पर्वतीय विकास की विसंगतियों की शुरुआत ही यहां से होती है कि इस अंचल को बाहरी असरदार लोगों ने या तो होटल के रूप में देखा है या संसाधनों के पिटारे के रूप में। अंग्रेजों व राजे-रजवाड़ों के दिनों से लेकर आज तक यहां वनों की कटाई और खनिजों का दोहन बदस्तूर चलता रहा है। ऐसे पर्यटन स्थल बनते रहे, जो पहाड़ी लोगों से कटे हुए थे। इन वनों के साथ कितने गांव वासियों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इससे ठेकेदारों या अधिकारियों को कोई मतलब नहीं रहा। खनन के जोरदार विस्फोटों से कुछ गांवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसकी चिंता ठेकेदारों को नहीं थी। उन्हें तो अधिक से अधिक खनिज पहाड़ से खोदकर ले जाना था। पहले तो पेड़ काटकर होटल बनाए गए, फिर पर्यावरण संरक्षण का शोर मचा, तो शेर बचाने के नाम पर गांव वालों को वनों के आसपास से खदेड़ दिया। जब वन-खनन दोहन बहुत हो चुका, तो निर्माण कंपनियां व इंजीनियर सरकार की सहायता से बांध बनाकर ज्यादा बिजली पैदा करने की संभावना तलाशने लगे। उन्हें यह देखने की फुरसत नहीं है कि वहां कितनी पीढ़ियों की मेहनत से सीढ़ीदार खेत व फलदार बगीचे तैयार हुए हैं, बच्चों की तरह यहां के पेड़ों को बड़ा किया गया है। शायद उन्हें यह सब देखने का प्रशिक्षण भी नहीं मिला है।

पर्वतीय गांवों में परंपरागत आजीविका की स्थिति इतनी कठिन हो गयी कि गांव

वासियों को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ा। जब उनमें असंतोष बढ़ने लगा, तो बाहरी अभिजात्य लोगों के साथ स्थानीय असरदार वर्ग को भी दोहन-शोषण की पुरानी नीतियों के साथ जोड़ लिया गया। पुरखों के बनाए घरों के खंडहरों को कृत्रिम जलाशयों में डुबोकर जब इनके ऊपर से पर्यटन विभाग की रंगीन किश्ती गुजरने लगी, तो इन विकास की तालियों के बीच विस्थापितों की आहें दब गईं। इस विकृत विकास से पर्वतीय गांववासियों का विस्थापन हुआ। साथ ही देश भर में बाढ़ व सूखे का संकट बढ़ने लगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत तोड़फोड़ और कटाव हो, तो नीचे के गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ या सूखे का संकट खड़ा हो जाता है।

पानी के बड़े कृत्रिम जलाशय बनाने में अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस तथ्य को भुला दिया जाता है कि पहाड़ों के चौड़ी पत्ती वाले स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों की पर्याप्त संख्या वाले वन वास्तव में बहुत बड़े प्राकृतिक जलाशय हैं। वे वर्षा के जल का भंडारण जमीन के नीचे करते हैं। वर्षा के अतिरिक्त जल का सरंक्षण कर जहां ये पर्वतीय वन बाढ़ का संकट कम करते हैं, वहीं बाद में शुष्क मौसम में इसे झरनों के माध्यम से नदियों में पहुंचाकर जल की कमी दूर करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। वहीं, पहाड़ों में अंधाधुंध खनन से भूस्खलन बढ़ने लगता है। बहुत-सा मलबा नदियों व जल स्रोतों में भी गिर जाता है। चूना पत्थर एक ऐसा खनिज है, जो जल का भंडार एकत्र कर रखने में बहुत सक्षम है।

यदि पर्वतीय गांववासियों को टिकाऊ जीविका देने वाली नीतियां अपनाई जाएं, तो इससे मैदानी क्षेत्रों को भी सूखे-बाढ़ का संकट हल करने में मदद मिलेगी। पर्वतीय गांव वासियों की टिकाऊ आजीविका के लिए वनों को बचाना जरूरी है। विशेषकर, चारा देने व जल-मिट्टी संरक्षण में जो पेड़ अधिक सक्षम हैं, उन्हें बचाना होगा। खेती व पेयजल के लिए छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों, झरनों व प्राकृतिक जल-स्रोतों की रक्षा जरूरी है। पर्यावरण बचाने के इस तरह के पर्वतीय प्रयास स्थानीय लोगों की जीविका का आधार हैं। ये नदियों के पानी का नियमन कर मैदानी इलाकों को भी राहत पंहुचाते हैं। हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला में घने वन होंगे, तो इसका समग्र असर जलवायु व वर्षा के लिए भी अच्छा होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वनों से तरह-तरह की लघु वनोपज प्राप्त करने, जड़ी-बूटी एकत्र करने और खेती व पशुपालन में टिकाऊ रोजगार उपलब्ध है, जबकि वन काटने व खनन में कुछ समय के लिए कम मात्रा में रोजगार प्राप्त होता है।

केंद्र सरकार को पर्वतीय वनों की रक्षा के लिए हिमालय क्षेत्र के राज्यों को विशेष अनुदान देना चाहिए। जैव-विविधता के संरक्षण के लिए तरह-तरह की परियोजनाएं आ ही रही हैं। ध्यान यह रखना है कि बायो डायवर्सिटी बचाने के इस कार्य को ऐसे किया जाए कि वह लोगों की टिकाऊ आजीविका की रक्षा से अच्छी तरह घुलमिल जाए। दुर्भाग्यवश आजकल बायो डायवर्सिटी व वाइल्ड लाइफ के नाम पर बहुत-सा देशी-विदेशी धन ऐसी परियोजनाओं के लिए आ रहा है, जो लोगों को विस्थापित करती हैं। इनसे बचना होगा। युवाओं को गांव के पास ही जैव-विविधता संरक्षण, लघु व कुटीर स्तर के उद्यमों में पर्याप्त रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने चाहिए। लोक-संस्कृति व दस्तकारियों को बचाने के प्रयास होने चाहिए व इन्हें पर्यटन जैसे नए अवसरों से जोड़ना भी चाहिए। ●

ब्रिटिश राज दे गया विलायती बबूल का शूल

ब्रिटिश राज के दौरान इस वनस्पति को भारत में हरियाली बढ़ाने के लिये भारी पैमाने पर रोपित किया गया था। आज यह वनस्पति भारत की कृषिभूमि की छाती पर शूल जैसी चुभ रही है।

■ **ताज रावत**

विलायती बाबुओं और विलायती बबूल ने भारत को गुलामी के दौर में तो नुकसान पहुंचाया ही, ये आज भी भारत भूमि को अपने दुष्प्रभावों से दु:खी किये हुए हैं। विलायती बाबू जहां जाते-जाते इस मुल्क को बंटवारे के रूप में एक ऐसा दर्द और दु:ख दे गये, जिसने सीमाओं के दोनों ओर आज भी अपना असर कायम रखा है। वहीं वे विलायती बबूल को भारत भूमि के सीने में रोपकर एक ऐसा कांटा चुभो गये जो भारतीय प्रायद्वीप की रत्नगर्भा धरा के धरातल को तो विदीर्ण कर ही रहा है, इसकी काया से अमृततुल्य जल रूपी रक्त भी चूस रहा है। इस विलायती बबूल ने दुनिया के हर उस मुल्क की भूमि को विदीर्ण कर दिया है, जिस मुल्क में ब्रिटिश क्राउन का राज रहा था। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सहित आंशिक यूरोप के अधिकांश देश विलायती बबूल और इसी तरह की अन्य हानिकारक वनस्पतियों के तेजी से फैल रहे जंगलों के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरणीय और कृषिकरणीय चुनौतियों से जूझ रही हैं।

अंग्रेजों ने भारत से उसकी पारंपरिक कृषि, पारंपरिक उद्योग धंधे, संस्कृति तो छीनी ही साथ में भारत की प्राकृतिक सुंदरता तथा जीवनदायिनी आबोहवा भी लूट ली। फिरंगी भारत को छोड़ने से पहले अनेक ऐसी अपसंस्कृतियां और वनस्पतियां दे गये जो आज भारत के लिये चुनौती बन गयी हैं। ऐसी ही एक वनस्पति है विलायती बबूल- जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस जूलीफलोरा है। ब्रिटिश राज के दौरान इस वनस्पति को भारत में हरियाली बढ़ाने के लिये भारी पैमाने पर रोपित किया गया था। आज यह वनस्पति भारत की कृषिभूमि की छाती पर शूल जैसी चुभ रही है। भारत की लगभग 56 लाख हेक्टेयर भूमि विलायती बबूल के कांटों की चुभन झेल रही है। यह तेजी से फैल रही पर्यावरणरोधी तथा काश्तकारों की दुश्मन वनस्पति मवेशियों के चरने के घास के चारागाहों को भी अपनी चपेट में ले रही है। नीलगिरी के शोलाशाल के मैदान, जैसलमेर के सेवनशस के मैदान, जोधपुर, बीकानेर के चारागाह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के चारागाह भी इस विलायती बबूल के कारण रूखे हो चले हैं।

इसी प्रकार की एक और पर्यावरण विरोधी वनस्पति अमरीका से हमें पिछली सदी में साठ के दशक के दौरान तोहफे में मिली है। उस दौरान सूखा तथा अकाल के कारण भारत में गेहूं आदि खाद्यान्नों की भारी कमी हो गयी और उस समय देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी नहीं था। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा विदेशों से गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न आयात किया गया साथ ही कुछ खाद्यान्न विदेशी मुल्कों द्वारा राहत के तौर पर भी भारत को दिया गया। उसी दौरान अमरीका से भारत पहुंचे गेहूं के साथ एक पर्यावरण विरोधी या यूं कहें कि पर्यावरण तथा कृषि विरोधी वनस्पति के बीज भारत पहुंचे जिसका वनस्पति नाम लैन्टाना अमरीकाना है। यह 'कुरी' नाम की झाड़ी की तरह उगने वाली वनस्पति न केवल पर्यारण के लिये खतरनाक है अपितु मवेशियों के लिये तो यह काल सदृश है।

कुरी वनस्पति मैदानी क्षेत्र के लिये तो हानिकारक साबित हो ही रही है पर्वतीय क्षेत्रों के लिये तो यह और भी घातक साबित हो रही है। खासकर पथरीले और कंकरीले क्षेत्रों में यह वनस्पति बहुत नुकसान देह साबित हो रही है। इस वनस्पति से होने वाले नुकसानों पर अभी अध्ययन प्राथमिक चरण में हैं। लेकिन विलायती बबूल पर हुए विभिन्न शोधों से यह साबित हो चुका है कि यह वनस्पति भारत भूमि का खून चूस रही है। दिल्ली विश्व विद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्राचार्य एवं पूर्व कुलपति सीआर बाबू विगत लंबे समय से विलायती बबूल के पर्यावरण और जैव विविधता पर दुष्प्रभाव का अध्ययन कर रहे

हैं। प्राचार्य बाबू का कहना है कि विलायती बबूल न सिर्फ स्वयं नुकसानदेह है बल्कि यह वनस्पति अन्य वनस्पतियों के अस्तित्व तथा विकास के लिये भी खतरनाक साबित हो चुकी है। विलायती बबूल विगत लगभग 125 वर्षों के दौरान भारत में लगभग 500 वनस्पतियों को खत्म कर चुका है।

विलायती बबूल के दुष्प्रभावों पर अध्ययन करने वाले एक और अन्य पर्यावरणविद् आर जेवारामान ने साल 2004 में ही आगाह कर दिया था कि यह वनस्पति पानी के स्तर के लिये भी अत्यंत खतरनाक है। तमिलनाडु में पीडब्लूडी में बतौर सीनियर इंजीनियर तैनात आर जेवारामान ने स्थानीय गुंदर नदी बेसिन क्षेत्र में किये गये अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में यह स्पष्ट किया कि यह वनस्पति न सिर्फ पानी को तेजी से सोखती है बल्कि अपने इर्द-गिर्द की जलवायविक नमी को भी शुष्कता में बदल देती है यानि जहां विलायती बबूल होगा, वहां मौसम खुश्क होगा। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में कुरी ने भी अनेक स्थानीय वनस्पतियों तथा पेड़-पौधों के अस्तित्व और विकास को खतरा पैदा कर दिया है। कुरी वनस्पति को पालतू मवेशी चर तो लेते हैं परंतु यह वनस्पति इतनी खुश्क होती है कि यह उनकी आंतों में ही चिपक कर रह जाती है और यदि लक्षण देखकर समय पर इलाज नहीं किया गया तो मवेशी की मौत हो जाती है।

विलायती बबूल के कारण जंगली कदम, कुल्लू, खेजड़ी, अंतमूल, हींस, केम, करोल, लसौड़ जैसी पर्यावरण मित्र देशी वनस्पतियां लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। विलायती बबूल की हरियाली को देखकर- 'सावन के अंधे को हरा ही दिखता है', जैसी मिसाल याद हो आती है। ऐसी हरियाली का क्या करना है जो जमीन को ही बंजर कर दे। जिस जमीन पर विलायती बबूल उगता है वहां पर और कोई अन्य वनस्पति नहीं उग सकती है। विलायती बबूल तथा कुरी, कार्बन का अवशोषण भी अत्यंत कम मात्रा में करते हैं स्पष्ट है कि इनका पर्यावरणीय महत्व भी नहीं है।

विलायती बबूल से हमारी खेती-जमीन-जलवायु ही दुष्प्रभावित नहीं हो रही हैं बल्कि यह पक्षियों की प्रजातियों को भी हतोत्साहित कर रहा है। प्राचार्य बाबू ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि दिल्ली तथा

इसके आस-पास के रिज इलाके में पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि जबसे इस क्षेत्र में विलायती बबूल को नियंत्रित करने की परियोजना पर काम शुरू हुआ है तब से पक्षियों की प्रजातियों में उत्साहजनक बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। विलायती बबूल की जड़ें भी काफी गहराई तक जाती है जो 21 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि इसकी जड़ें उन इलाकों में तेजी से फैल रही हैं जहां पहले से ही पानी का संकट मौजूद है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में 172, उत्तर प्रदेश में 111, हरियाणा में 61 तथा दिल्ली में 18 क्षेत्रों को विलायती बबूल के दुष्प्रभावों के चलते 'डार्कजोन' के तौर पर चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि डार्कजोन उस क्षेत्र को कहा जाता है, जहां कि भूजल संपदा का दोहन काफी हो चुका है तथा जलस्तर काफी निचले स्तर पर विद्यमान होने के साथ-साथ काफी तेजी से घट भी रहा है।

विलायती बबूल, कुरी आदि पर्यावरणरोधी वनस्पतियों की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह होती है कि यह गिरते हुए जलस्तर का पीछा करती हैं। अर्थात इन वनस्पतियों की जड़ें गिरते हुए जलस्तर वाले क्षेत्र में भूमिगत जल के गिरते हुए स्तर का पीछा करते हुए उतनी गहराई तक पहुंचने में सक्षम हैं, जितनी गहराई पर जल स्तर मौजूद होता है। विलायती बबूल कितना पानी सोखता है अभी इसका अध्ययन होना बाकी है।

विलायती बबूल के भारी नुकसानों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने दुनिया के अधिकांश मुल्कों में भी काश्तकारों और सरकारों के लिये चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र के ही एक निकाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मसौदा तैयार कर उसे अनेक देशों में स्थानीय सरकारों के माध्यम से लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा यह मसौदा वर्ष 2014 में तैयार किया गया था। इस मसौदे में विलायती बबूल सहित अन्य अनेक हानिकारक पेड़-पौधों की रोकथाम और उनको फैलने से रोकन के उपायों को शामिल किया गया है।

अकेले अफ्रीका महाद्वीप के देश इथोपिया में लगभग आठ लाख हेक्टेयर, केन्या में छह लाख हेक्टेयर, दक्षिण अफ्रीका की 18 लाख हेक्टेयर भूमि विलायती बबूल से आच्छादित हो चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी भारी पैमाने पर विलायती बबूल के जंगल तेजी से फैल रहे हैं। भारत के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी 2014 में तैयार किये गये नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान में विलायती बबूल सहित अन्य हानिकारक पौधों को नियंत्रित करने के उपायों को शामिल किया गया है। इस एक्शन प्लान के अंतर्गत हानिकारक वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों का राष्ट्रीय डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मानना है कि जैव-विविधिता को बचाने के लिये मानवजनित पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को ही हतोत्साहित करना जरूरी नहीं है बल्कि हानिकारक वनस्पतियों पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है।

दरअसल दोष किसी वनस्पति का नहीं है बल्कि हमारी जैव-विविधता प्रबंधन का है। एक कहावत है कि कोई भी वनस्पति औषधीय गुण से रिक्त नहीं है। हम किस वनस्पति या व्यक्ति का क्या उपयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण है। कायर को सैनिक और नर्तक को दार्शनिक नहीं बनाया जा सकता है। स्पष्ट है कि बबूल भी उसी तरह पैदा किया जाना चाहिए जिस तरह उसका उपयोग हो सके। यदि उसके फैलाव पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो वह अधिकाधिक भूमि को घेरेगा। कहां पर क्या उपज ली जाये यह तय होना चाहिए। ●

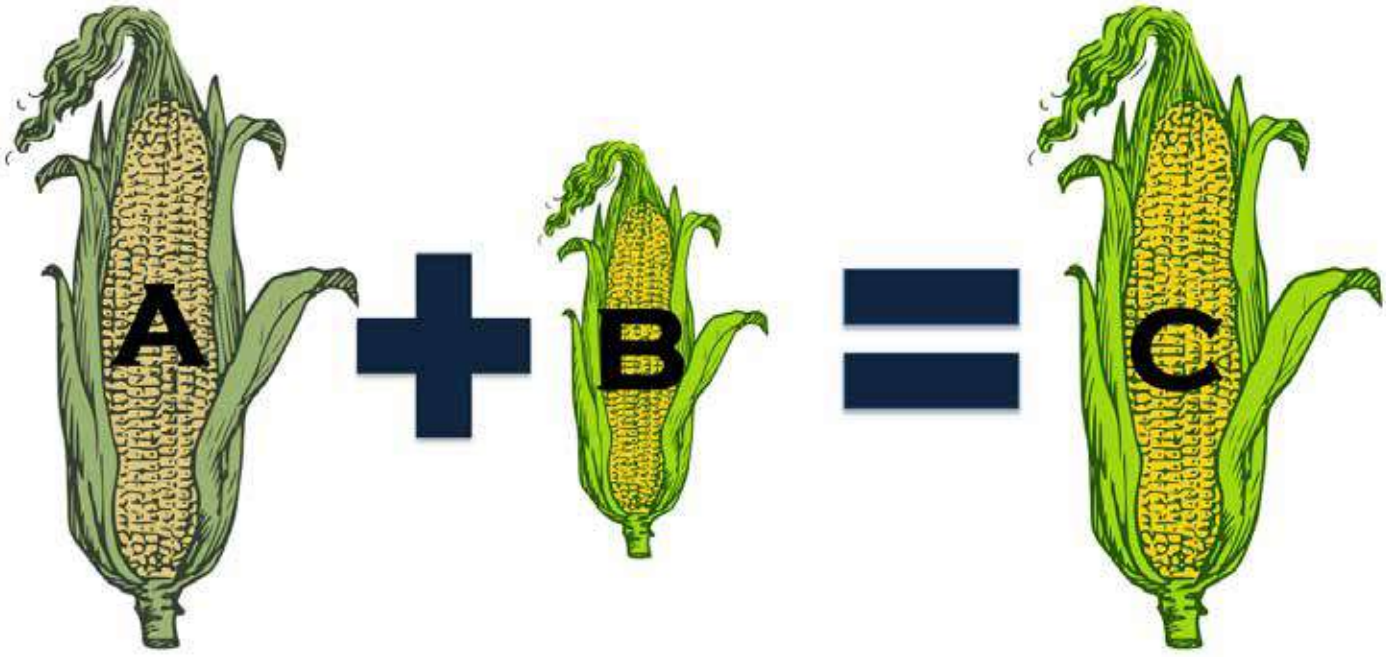

संकर बीजों का बीजगणित

देसी बीजों की यह विशेषता है कि बार-बार उपयोग के बाद भी इनकी उत्पादन क्षमता कम नहीं होती है, मगर आज हमारे सामने अनाज, सब्जियों और अन्य प्रकार के जो संकर बीज हैं उनमें यह क्षमता नहीं है। एक-दो बार उपयोग के बाद इनमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि इन्हें बोकर लाभ कमाया जा सके।

■ **डॉ. महर उद्दीन खां**

भारत में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को कृषिक्षेत्र में क्रांति माना जाता है। ऊपर से देखने में यही आभास होता है कि अधिक उत्पादन देने वाले संकर बीज देकर मल्टीनेशनल कंपनियों ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मगर यह बात इतनी सरल नहीं है। जब बीजों के इस गणित पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि हमने नये संकर बीज अपनाकर इन मल्टीनेशनल कंपनियों पर बड़ा उपकार किया है जिसके लिए इन कंपनियों को भारत का सदैव आभारी होना चाहिए। दरअसल इन बीजों का गणित केवल अधिक उत्पादन तक ही सीमित नहीं है बल्कि बीजों के अनवरत उत्पादन का भी गणित है।

देसी बीजों की यह विशेषता है कि बार-बार उपयोग के बाद भी इनकी उत्पादन क्षमता कम नहीं होती है, मगर आज हमारे सामने अनाज, सब्जियों और अन्य प्रकार के जो संकर बीज हैं उनमें यह क्षमता नहीं है। एक-दो बार उपयोग के बाद इनमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि इन्हें बोकर लाभ कमाया जा सके। हर दो साल बाद किसान को नये बीज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीज उत्पादक कंपनियों का धंधा अबाध गति से चलता रहता है।

इन संकर बीजों की एक कमजोरी यह है कि केवल गोबर या कूड़े-करकट की खाद से इनसे उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इनसे भरपूर उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अनिवार्य होता है। गन्ना, गेहूं, चावल और अन्य फसलों के प्रचलित नये बीजों से अधिक उत्पादन लेने के लिए डीएपी और यूरिया का प्रयोग अनिवार्य है। इस प्रकार इन उर्वरकों से बचाव के लिए किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। डीएपी जैसे महंगे उर्वरक के उत्पादन पर भी इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों का एकाधिकार है। इस प्रकार बीज के साथ-साथ इन कंपनियों का उर्वरक उत्पादन का धंधा भी अनवरत जारी रहता है।

देसी बीजों में रोगों तथा खर-पतवार का मुकाबला करने की क्षमता होती थी, मगर नये बीजों में यह क्षमता नहीं है। इनसे उत्पादन लेने के लिए कीटनाशक एवं खर-पतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करना भी मजबूरी बन गया है। जो किसान अबसे चार-पांच दशक पहले जहरीली दवाइयों के प्रयोग को अपराध मानता था वह आज धड़ल्ले से इनका प्रयोग कर रहा है, क्योंकि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार एक बीज के साथ-साथ उर्वरक, खर-पतवार नाशक और कीटनाशकों की खेप भी साथ में आ गयी।

नये बीजों के बीजगणित की इस श्रृंखला का समापन यहीं नहीं हो जाता। इससे आगे भी और कई धंधों का विकास इन नये बीजों ने किया है। देसी बीज भारतीय जलवायु के

अनुकूल होते थे, इसलिए मौसम के अनुसार इनके सेवन से रोगों की संभावना कम रहती थी। नये बीजों के आगमन से पहले गेहूं मुख्य भोजन में शामिल नहीं था। लोग मौसम के अनुसार मोटे अनाज का प्रयोग करते थे मगर अब ऐसा नहीं है। गेहूं हमारा मुख्य भोजन बन गया है। मिस्सी रोटी घरों से गायब हो गई है और आज की पीढ़ी को बेझड़ के बारे में पता ही नहीं है। जिसका नतीजा है कि आज हर आदमी कब्ज, गैस, एसिडिटी और मोटापा आदि किसी न किसी रोग का शिकार है। नये बीजों के आगमन से पहले ये रोग आम नहीं थे। लोक मान्यता है कि मोटा अनाज खाने वाले लोग मोटे नहीं होते। इन रोगों से बचाव के लिए अनेक दवाइयां भी आ गई हैं। इन दवाइयों का उत्पादन भी मल्टीनेशनल कंपनियां ही करती हैं। इस प्रकार एक बीज ने दवा उद्योग को भी खूब लाभ पहुंचाया है।

नये बीजों ने जहां एक ओर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए समृद्धि के द्वार खोले हैं वहीं भारत के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल न तो भारत के पास है और न ही इन मल्टीनेशनल कंपनियों के पास। देसी बीजों के लिए पानी की आवश्यकता कम होती थी जबकि नए बीजों के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। गेहूं का कोई भी नया बीज चार-पांच सिंचाई से कम पर समुचित उत्पादन नहीं दे सकता, जिसका नतीजा यह है कि भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई इलाकों में तो नलकूप तीन-चार साल बाद ही बेकार हो जाते हैं। भूजल का लगातार गिरता स्तर किसान और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है, मगर अभी तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।

एक समाधान किसान को बताया जा रहा है कि वह परंपरागत सिंचाई के स्थान पर टपका सिंचाई का प्रयोग करे, मगर इसका यंत्र इतना मंहगा है जो हर किसान के लिए संभव नहीं है। इससे एक बात यह भी पता चलती है कि पानी की समस्या के समाधान के लिए कुछ और नये उद्योगों को जन्म दिया जा रहा है उन पर भी मल्टीनेशनल कंपनियों का ही कब्जा होना है। इस सबके साथ इन कंपनियों ने एक और पेटेंट उद्योग पर भी अपना एकाधिकार-सा ही कर लिया है।

नये बीजों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का अंत भूजल के गिरते स्तर पर ही नहीं होता। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण भूमि की उर्वरा-शक्ति निरंतर कमजोर होती जा रही है। अब तो कृषि वैज्ञानिक भी यह आशंका व्यक्त करने लगे हैं कि अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम नहीं किया गया तो भूमि को बांझ होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि संकर बीजों से वर्तमान तथा भविष्य में आने वाले संकट पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा ऐसे उपाय खोजे जाएं जिनसे इस संकट से छुटकारा मिल सके। यदि समय रहते ऐसे उपाय नहीं खोजे गये तो भारत मल्टीनेशनल कंपनियों के ऐसे कुचक्र में फंस जाएगा, जिससे पार पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। ●

मंडियों ने दगा दिया

■ **जनकवि बल्ली सिंह चीमा**

कभी धान को कभी गेहूं को, तेरी मंडियों ने दगा दिया।
मेरी खेतियों से तुझे बैर है, तेरी नीतियों ने बता दिया।

मैं किसान हूं मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूं।
कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया।

ये कहानियां, ये लफ्फाजियां, तेरे मुंह से मुझको जंची नहीं।
मेरे गांव में ये रिवाज है, कहा जो भी करके दिखा दिया।

मेरी जिंदगी तुझे क्या कहूं, तू ही धूप है तू ही छांव है।
किसी शाम तूने रुला दिया, किसी शाम तूने हंसा दिया।

मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूं, यही फ़ख्र है कि झुका नहीं।
वो मशाल भी क्या मशाल है, जिसे आंधियों ने बुझा दिया।

कहर

पकी फसल पर असमय बरसात और ओलों के कहर ने किसानों के पेट और कमर पर जो लात मारी थी, उसी का सर्वे चल रहा था। कौन किस हद तक घायल है उसी हिसाब से मुआवजा मिलना था। सो, दो सरकारी मुलाजिम एक पुरवा से दूसरे पुरवा जा-जाकर कागज रंग रहे थे।

'भाग यहां से साले, यहां आया तो तेरी खैर नहीं। हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तेरा मन नहीं भरा मेरे बाल-बच्चे खाकर? और कितनों को खायेगा? आ... ले, खा ले... सबको खाजा... आजा, आ के दिखा... तुझे अभी मजा चखाता हूं' कह कर वो अंधाधुंध पत्थर मारने लगा। उसकी विक्षिप्त-सी हालत देख दोनों सर्वेकर्ता दहशत में आ गये। उसमें से एक ने साथ खड़े ग्रामीण से पूछा- 'अरे भैया! इसे क्या हुआ? पागल है क्या?'

'अरे अब क्या बतायें हुजूर! अच्छा-खासा मेहनती किसान था। पिछले साल इन्हीं दिनों ओलों ने इसका सब कुछ बरबाद कर दिया। लागत भी नहीं निकाल पाया बेचारा! ऊपर से साहूकार के तकाज़े। सो खा लिया परिवार सहित जहर, कोई नहीं बचा! बस इसी की नहीं आई थी... सो बच गया, लेकिन बच्चों की लाशें देखकर दिमाग ठिकाने नहीं रहा।'

'ओहो... बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये पत्थर किसे मार रहा है?'

'उन्हें' असमय घिर रहे काले बादलों की ओर इशारा करते हुये वो ग्रामीण बोला।

■ **राहिला**

भारतमाता ग्रामवासिनी

दिल्ली स्थित वाईडब्ल्यूसीए सभागार में 15 जुलाई 2018 को कृषि एवं पर्यावरण के लोक पर्व 'हरेला' की पूर्व संध्या पर 'साहित्य एवं संस्कृति की जुगलबंदी' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्था 'कृषि चौपाल' की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड के लोग प्रकृति की भाषा को समझते हैं और प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, तभी तो वे प्रकृति को संरक्षित करते हुए जीवन को भी संरक्षित कर लेते हैं।

कर्क संक्रांति की पूर्व संध्या पर सामाजिक सेवा संस्थान 'कृषि चौपाल', उत्तराखंड क्लब, जन सेवा उद्यम (पीएसयू) गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं साहित्य कला परिषद् दिल्ली के प्रायोजन से आयोजित कार्यक्रम 'साहित्य एवं संस्कृति की जुगलबंदी' में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने सभी लोगों को हरेला की शुभकामनाएं दीं।

कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण के पर्व हरेला की पूर्व संध्या बेला पर आयोजित कार्यक्रम के प्रथम सत्र 'सुमित्रानंदन पंत व्याख्यानमाला' को संबोधित करते हुए वरिष्ठ

पत्रकार ज्ञानेन्द्र पाण्डे ने कविवर श्री पंत को स्मरण करते हुए कहा कि एक छोटे से भू-क्षेत्र उत्तराखंड ने समाज तथा राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनायी है। श्री पाण्डे ने याद दिलाया कि उत्तराखंड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान भारत तक प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं के जरिए प्रभावशाली योगदान दिया है और यह सिलसिला आज भी जारी है। अपने संबोधन के दौरान प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के सृजन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही कविता रचने लगे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में पंत के कद का अंदाजा इसी बात

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेन्द्र पाण्डे, शिक्षाविद् प्रो. सुरेश चंद्र पंत, प्रसिद्ध साहित्यकार मंगलेश डबराल एवं रंगकर्मी हेम पंत

से लगाया जा सकता है कि उनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के महान कवि वड्र्सवर्थ से की जाती है। श्री पांडे ने उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो वह मजबूरी में किया गया और अब जो पलायन हो रहा है वह पुनर्पलायन है। इसे उन्होंने राजनीतिक पलायन करार दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कुमाऊं तथा गढ़वाल के पलायन में अंतर है। श्री पांडे ने उद्घाटित किया कि गढ़वाल में जहां तीर्थाटन के चलते समूचे भारत के लोग आते-जाते रहते हैं, वहीं कुमाऊं में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों के दौरान अपने धार्मिक विश्वासों तथा रीति-रिवाजों को बचाने के लिए लोग कुछ चुनिंदा प्रांतों से पलायित होकर आये।

श्री पाण्डे ने कहा कि यह कितने गौरव की बात है कि छोटा-सा राज्य उत्तराखंड केवल साहित्य में ही नहीं अपितु विकास तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभावशाली दखल रखता आया है। राष्ट्रभक्ति तो हमारा जुनून ही है, परंतु खेल, पत्रकारिता, अभिनय, नृत्य आदि विधाओं में भी उत्तराखंड के व्यक्तियों को अलग से पहचाना जाता है। साहित्य तथा लेखन में सुमित्रानंदन पंत के साथ-साथ ही गुमानी पंत, इलाचंद्र जोशी, शिवानी (गौरा पंत), शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, हेम जोशी, प्रसून जोशी हैं तो वहीं शासन-प्रशासन में गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, बीडी पाण्डे, नारायण दत्त पालीवाल, बीएम शाह, मोहन चंद्र उप्रेती, विपिन जोशी (पूर्व थल सेना प्रमुख), केसी पंत, सरस्वती तिवारी, लीला टम्टा, सीपी जोशी जैसी शख्सियतों ने खासी ख्याति बटोरी।

श्री पाण्डे ने कहा कि पत्रकारिता में तो जनसंख्या प्रतिशत के नजरिए से उत्तराखंड सबसे आगे है। वर्तमान में मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड के 30 प्रतिशत मीडियाकर्मी सक्रिय हैं। मनोहर श्याम जोशी, मृणाल पांडे से लेकर फिल्म पत्रकार विनोद तिवारी तक एक खासी रेंज है जिन्होंने मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है। फिल्म क्षेत्र में भी हिमानी शिवपुरी, निर्मल पांडे, हेमंत पांडे आदि कलाकारों ने काफी नाम कमाया है। वहीं खेलों में भी ऋषभ पंत, एकता बिष्ट (क्रिकेटर) ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। श्री पाण्डे ने कहा कि दिल्ली में पहाड़ियों अच्छा तथा बेहतर करने के लिए जो अवसर मिले इसके लिए पूर्व राज्यपाल बीडी पांडे, पूर्व कमिश्नर (दिल्ली) बीआर टम्टा तथा सीपी जोशी को भुलाया नहीं जा सकता है। इन तीनों शख्सियतों ने पहाड़ के लोगों को कोठी-बंगलों की चौकीदारी तथा किचन की नौकरी से बाहर निकालते हुए उन्हें उन्हें शिक्षा-योग्यता के अनुसार नौकरी पाने में काफी मदद की। इस अवसर पर श्री पाण्डे ने गोपाल बाबू गोस्वामी के संगीत को स्मरण करते हुए उनके संगीत को पहाड़ की आत्मा का संगीत कहा।

व्याख्यानमाला सत्र को संबोधित करते हुए शिक्षाविद् सुरेश चंद्र पंत ने कविवर सुमित्रानंदन पंत के सृजन पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि हिंदी कविता को ब्रजभाषा के प्रभाव से बाहर निकालने का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को दिया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य जगत में कविवर पंत ने ही पहली बार यह प्रश्न उठाया कि हम सोचते किसी और भाषा में हैं और लिखते किसी और भाषा में हैं। उन्होंने बताया कि सुमित्रानंदन पंत चार भाषाओं के जानकार थे। हिंदी के अलावा संस्कृत, अंग्रेजी तथा पर्शियन भाषा पर भी वे पूर्ण अधिकार रखते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुमित्रानंदन पंत समय को पहचानने वाले कवि थे। उन्होंने

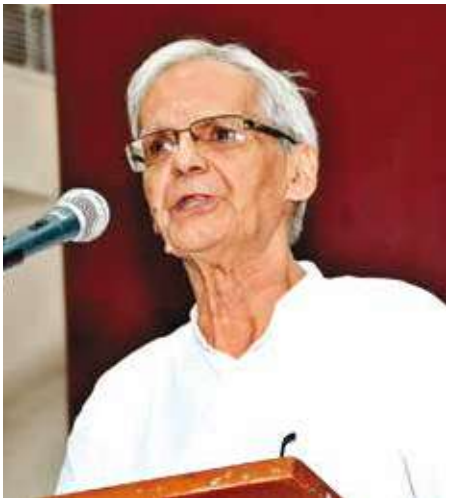

अपनी कविताओं में जिन समस्याओं को आजादी से पूर्व ही उठाया था, वे समस्याएं आजादी के सात दशकों बाद भी जस की तस हैं। उन्होंने श्री पंत द्वारा 1939 में रचित कविता 'उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर आश्रित...' का वाचन करते हुए बताया कि यह कविता नारी विमर्श पर लिखी गयी थी। कविवर पंत ने भारत की दीन-हीन दशा को भी अपनी कविताओं में दर्शाया है। 1940 में 'भारतमाता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला आंचल...' उनकी वह कविता है जो भारत की दिशा-दशा पर आज भी प्रासंगिक ठहरती है।

कविवर पंत ने अपने आलोचकों की कभी परवाह नहीं की। उन पर पश्चिम के रोमांटिसिज्म से प्रभावित होने से लेकर स्त्रैण स्वभाव तक का आरोप मढ़ा गया। उनके समकालीन विरोधी कवियों ने उनकी आलोचना में 'पंत की कोमलकांत पदावली कल किसी कार से टकरा गयी' जैसी रचनाएं रचकर उनको अपमानित करना चाहा, परंतु उन्होंने कभी भी इन आलोचनाओं की फिक्र नहीं की और वह अपने साहित्य सृजन कर्म में रत रहे। आज परिणाम सबके सम्मुख है कि कविवर पंत की कविताओं को कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित कर पढ़ा जा रहा है। सुरेश चंद्र पंत ने सभी को हरेला पर्व की बधाइयां देते हुए कहा कि आज के इस आयोजन में एक सिरे पर कविवर सुमित्रानंदन पंत है तो दूसरे सिरे पर गोपाल बाबू गोस्वामी हैं, यही उत्तराखंड की विशेषता है।

हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर मंगलेश डबराल ने व्याख्यानमाला को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए कविवर पंत को हिंदी कविता को ब्रजभाषा के श्रृंगार से मुक्त करने का श्रेय दिया। श्री डबराल ने कहा कि ब्रजभाषा के श्रृंगार से मुक्त कविता ही छायावाद है। छायावादी कविताओं में हालांकि किसी को लड़ने-भिड़ने के लिए आह्वान का अभाव होता था और प्रकृति के शब्द चित्र अधिक होते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'छायावाद' का नामकरण प्रसिद्ध ब्रजभाषी कवि मुकुटधर पाण्डेय ने किया। श्री डबराल ने कहा कि उस जमाने में आज की हिंदी को खड़ी बोली कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और सुमित्रानंदन पंत ने सबसे पहले यह साहस दिखाया कि खड़ी बोली में कविता रची जाये। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि महादेवी वर्मा कुछ विलंब से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुई और बाद में उत्तराखंड के ही गढ़वाल के चंद्रकुंवर बर्त्वाल छायावाद में नव्यता लेकर आये। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि श्री वर्त्वाल का असमय देहांत हो गया वरना छायावाद और अधिक समृद्ध होता। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि छायावाद के प्रणेता तथा पहले कवि सुमित्रानंदन पंत ही हैं। श्री पंत ने हिंदी कविता में जो प्रस्तावना परिवर्तन किया वह बाद के कवियों के लिए भी अनुकरणीय रहा। श्री डबराल ने इस बात पर खुशी जाहिर की मध्य हिमालयी क्षेत्र के एक छोटे से भू-भाग की प्रतिभाओं ने राजनीति, प्रशासन, साहित्य, कला, संगीत तथा खेल आदि हर क्षेत्र में प्रभावशाली दखल दिया।

श्री डबराल ने कहा कि कविवर पंत को केवल रोमांटिक कविताओं तक सीमित करते हुए उन्हें प्रकृति का ही कवि ठहराना उनके कृतित्व के साथ अन्याय होगा। उन्होंने 'भारतमाता ग्रामवासिनी' कविता का वाचन करते हुए इस धारणा को खारिज किया श्री पंत केवल प्रकृति चित्रण तक ही सीमित थे। उन्होंने कहा कि उनका साहित्य सृजन काफी विस्तृत था और वह समय के साथ परिवर्तित होता हुए अध्यात्मवाद तक पसरा हुआ है। श्री डबराल ने याद दिलाया कि जब अकविता अर्थात छंदमुक्त कविताओं का दौर आया तो श्री पंत काफी नाराज भी हुए और उन्होंने यह भी कहा था कि आज के कवियों को न जाने क्या हो गया है जो उनकी ही

कविताओं को गद्य में अनूदित कर रहे हैं। उन्होंने तब यह भी चिंता जाहिर की कि इस प्रकार तो हिंदी कविता मर जाएगी। हालांकि बाद में छंदमुक्त कविताओं का एक लंबा दौर रहा जो आज भी जारी है। श्री डबराल ने 'प्रथम रश्मि का आना' कविता के माध्यम से श्री पंत की रचना की गहराइयों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके समकालीन निराला को पंत से काफी ईर्ष्या होती थी, क्योंकि निराला बांग्ला से हिंदी में आये थे। उन्होंन महादेवी वर्मा के छायावाद को एक भारतीय नारी का 'करुणावाद' करार दिया। श्री डबराल ने इस अवसर पर डॉ. रघुवीर सहाय और लीलाधर जगूड़ी की रचनाधर्मिता को भी स्मरण किया।

व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए समालोचक एवं रंगकर्मी हेम पंत ने कविवर पंत के बचपन से लेकर इलाहाबाद तक के अकादमिक सफर का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कविवर पंत की माता का निधन उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। श्री पंत ने बचपन से ही मां के अभाव प्रकृति को मां के समान स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि पंत का जन्म उत्तराखंड के प्राकृतिक रमणीक स्थल कौसानी में हुआ तथा अल्मोड़ा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे अपने बड़े भाई के पास इलाहाबाद आ गये। उन्होंने बताया कि श्री पंत का बचपन का नाम गुसांई दत्त पंत था। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी शिरकत की। उनको भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्री पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला।

रंगकर्मी हेम पंत

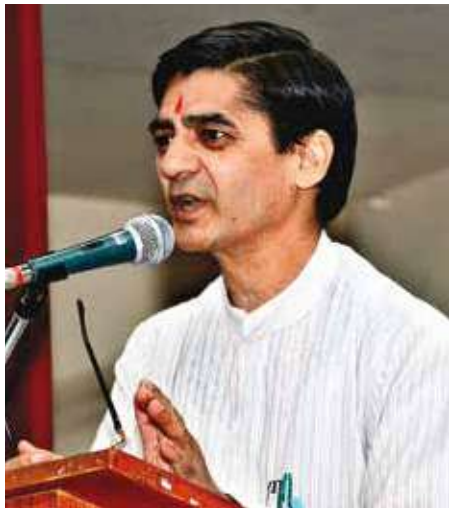

कवि भू त्यागी

साहित्यकार पृथ्वी सिंह केदारखंडी

हेम पंत ने बताया कि कविवर पंत अपनी साहित्य सृजन यात्रा के पहले पड़ाव में छायावादी और उसके अगले पड़ाव में समाजवादी-प्रगतिवादी तथा अंत में स्वामी अरविंदो से प्रभावित होकर अध्यात्मवादी पड़ाव पर ठहरे हैं। पल्लव, उच्छवास, चिदंबरा, ग्राम्या, मोर आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। लोकायन पंत की अपने पिता को समर्पित रचना है। उन्होंने अपने प्रारंभिक दौर में कुमाऊंनी भाषा में कविताएं रचीं। 'सार जंगल में त्वैजो क्वे न्है रे' उनकी कुमाऊंनी कविता है जो बुरांश शीर्षक से पंत साहित्य में संकलित है।

व्याख्यानमाला के दौरान कवि भू त्यागी ने श्री पंत की कविताओं का काव्यपाठ प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्तराखंड के पलायन पर भी चिंता जाहिर की। 'देख रहा हूं सजल नयन से...' काव्यपाठ को दर्शकों ने काफी सराहा।

व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कवि पृथ्वी सिंह केदारखंडी ने कहा कि सुमित्रानंदन पंत तथा चंद्रकुंवर बर्त्वाल प्रकृति के कुशल चितेरे थे। श्री बर्त्वाल ने अल्प समय में हिंदी कविता में काफी नाम कमाया। श्री केदारखंडी ने कहा कि आज यदि उत्तराखंड को समग्रता से समझना है तो हमें उत्तराखंड के साहित्यकारों को गंभीरता से पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि पलायन का दंश उत्तराखंड के लिए इतना घातक साबित हुआ है कि यहां के साहित्यकारों और कलाकारों की कला भी पलायन कर गयी। अपने सारगर्भित संबोधन के दौरान उन्होंने 'वीरों की धरती' व 'प्यारे उत्तराखंड में

उड़कर जाऊं' कविता पाठ भी प्रस्तुत किये जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद किये गये।

प्रथम सत्र जहां कविवर पंत के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को समर्पित रहा, वहीं द्वितीय सत्र उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक व गीतकार गोपाल बाबू गोस्वामी को समर्पित था। इस सत्र की शुरुआत मां नंदा देवी वंदना से शुरू हुई जो राम गंगा सांस्कृतिक कला केन्द्र के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी। गीत-संगीत के इस सत्र में गोपाल बाबू गोस्वामी के पुत्र रमेश बाबू गोस्वामी ने समां बांधते हुए अपने पिता की याद दिला दी। दर्शक रमेश बाबू गोस्वामी को सुनकर भाव विभोर हो गये। उन्होंने अपने पिता द्वारा गाये गये 'देवी बारही मेरी सेवा लिया', 'गोपुली चायखाना बंग्याला लागो, गोपुली नौ बीसी नौ ओड़ा', 'मेरि सुवा हौसिया तेरी लागी रै बहुतै नराई' आदि गीत प्रस्तुत किये।

लोक गायिका आशा नेगी 'डम डम डमरू बाजी रो हिमाला' से महादेव की स्तुति की और फिर न्यौली से शुरुआत कर 'माया लौंडा मधुआ, मधुआ लौंडा बैराठा की सारा'

से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

लोक गायक गोपाल मठपाल, गौरव पंत, कविता गुसांई, प्रीती मठपाल आदि ने अपनी सुंदर आवाज से समां बांध दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत मंगलेश डबराल, सुरेश चंद्र पंत, ज्ञानेन्द्र पांडे, पृथ्वी सिंह केदारखंडी, हेम पंत, प्रताप शाही, आरपी ध्यानी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। व्याख्यानमाला के प्रथम सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार नीरज जोशी ने किया, जबकि सांस्कृतिक सत्र का संचालन गंगा ठाकुर द्वारा किया गया। व्याख्यानमाला सत्र की अध्यक्षता प्रो. सुरेश चंद्र पंत द्वारा की गयी। कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पार्षद श्रीमती गीता रावत, समाज सेविका श्रीमती भावना त्यागी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे।

कार्यक्रम के समापन पर आयोजक संस्था 'कृषि चौपाल' के महासचिव महेन्द्र सिंह बोरा ने सभी आमंत्रित अथितियों एवं दर्शकों का आभार व्यक्त किया।

■ **गणेश चंद्र पाण्डे**

MADE EASY

India's Best Institute for IES, GATE & PSUs

Crack in 1st Attempt

ESE, GATE & PSUs

• Best Faculty • Best Study Material • Best Results

Why most of the students prefer MADE EASY !

Comprehensive Coverage
- More than 1000 teaching hours
- Freshers can easily understand
- Emphasis on fundamental concepts
- Basic level to advance level
- Coverage of whole syllabus (Technical and Non technical)

Focused and Comprehensive Study Books
- Thoroughly revised and updated
- Focused and relevant to exam
- Comprehensive so that, there is no need of any other text book
- Designed by experienced & qualified R&D team of MADE EASY

Dedication and Commitment
- Professionally managed
- No cancellation of classes
- Pre-planned class schedule
- Starting and completion of classes on time
- Subjects completion in continuity
- Co-operation and discipline

Complete guidance for written and personality test
MADE EASY has a dedicated team which provides round the year support for
- Interpersonal Skills
- GD and Psychometric Skills
- Communication Skills
- Mock Interviews

Motivation & Inspiration
- Motivational Sessions by experts
- Expert Guidance support
- Interaction with ESE & GATE toppers

Regular updation on Vacancies/Notifications
- Display on notice board and announcement in classroom for vacancies notified by government departments
- Notification of ESE, GATE, PSUs and state services exams

Professionally Managed & Structured Organization
- MADE EASY has pool of well qualified, experienced and trained management staff

Best Pool of Faculty
- India's best brain pool
- Full time and permanent
- Regular brain storming sessions and training
- Combination of senior professors and young energetic top rankers of ESE & GATE

Consistent, Focused and Well planned course curriculum
- Course planning and design directly under our CMD
- GATE & ESE both syllabus thoroughly covered
- Course coordination and execution directly monitored by our CMD

Best Infrastructure & Support
- Well equipped audio-visual classrooms
- Clean and inspiring environment
- In campus facility of photocopy, bookshop and canteen
- Best quality teaching tools

Regular Assessment of Performance
- Self assessment tests (SAT)
- ESE all India Classroom Test Series
- GATE Online Test Series
- Subject-wise classroom tests with discussion
- Examination environment exactly similar to GATE & UPSC exams

Counseling Seminars and Guidance
- Career counseling
- Post GATE counseling for M.Tech admissions
- Techniques for efficient learning
- Full Time Interview support for IES & PSUs

Timely completion of syllabus
- 4-6 hrs classes per day
- Well designed course curriculum
- Syllabus completion much before the examination date

Maximum Selections with Top Rankers
- MADE EASY is the only institute which has consistently produced Toppers in IES, GATE & PSUs
- Largest Selections in GATE
- Largest Selections in IES

Audio Visual Teaching | Hostel Support | Safe, Secured and Hygienic Campus Environment

Courses offered at MADE EASY

- Regular/Weekend/Super Talent Batches
- Rank Improvement Batches
- Online Test Series
- Postal Study Course
- MADE EASY Books
- Interview Guidance Program

Selections from MADE EASY in GATE 2016 & ESE 2015

MADE EASY Students Top in ESE-2015 — 38 Selections in Top 10 | 351 Selections out of total 434 | MADE EASY selections in ESE-2015: 82% of Total Vacancies

MADE EASY Students Top in GATE-2016 — 53 Selections in Top 10 | 368 Selections in Top 100 | 1st Rankers in 6 Streams: ME • EE • EC • IN • CS • PI

Streams: CE ME EE EC CS IN PI

For more details, visit :
www.madeeasy.in

Delhi	Noida	Lucknow	Jaipur	Bhopal	Indore	Pune	Hyderabad	Bhubaneswar	Kolkata	Patna
011-45124612	0120-6524612	09919111168	0141-4024612	0755-4004612	0731-4029612	020-26058612	040-66774612	0674-6999888	033-68888880	0612-2356615
09958995830	08860378009	08400029422	09166811228	08120035652	07566669612	09168884343	040-24652324	09040999888	08282888880	09955991166

Corporate Office: 44-A/1, Kalu Sarai (Near Hauz Khas Metro Station) New Delhi-110016; Ph: 011-45124612

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953

Postal Regd. No. DL(E)-20/5505/2016-18
27th & 28th of month

ओएनजीसी
ONGC

समुद्र की लहरों से, देश के दिल तक...
ऊर्जा के संचालक

दिल में देश और सांसों में जोश लिए, हम पिछले साठ वर्षों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्र की लहरों से जूझ रहे हैं। आज हम भारत के घरेलू तेल एवं प्राकृतिक गैस का 72 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

हम हैं ओएनजीसी

नई दिशाएं, नई खोज, नई ऊँचाई एवं नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए - ओएनजीसी

/ONGCLimited @ONGC_ Web: www.ongcindia.com